

भाग स
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

सामान्य

1.1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयू, वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2019 तक झारखण्ड में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन (तीन अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ सहित) 31 पीएसयू थे (सभी सरकारी कम्पनियाँ)। वर्ष 2018-19 में, दो⁴⁶ नए पीएसयू सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आए।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर पीएसयू का वित्तीय प्रदर्शन शामिल है।

31 दिसम्बर 2019 को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने ₹ 5,283.72 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (₹ 3,07,581 करोड़) का 3.56 प्रतिशत था। अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू को ₹ 453.81 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2019 तक, राज्य पीएसयू में लगभग 7000 कर्मी कार्यरत थे। शुरू से यहाँ तीन पीएसयू अकार्यरत⁴⁷ थे, जिनमें पूँजीगत ₹ 1.1 करोड़ तथा दीर्घकालीन ऋण ₹ 50.81 करोड़ सहित कुल निवेश ₹ 51.91 करोड़ था। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अकार्यरत पीएसयू में निवेश, राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं करते हैं। पतरातू ऊर्जा लिमिटेड एवं झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को समेटने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, उनके बोर्ड⁴⁸ द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

1.1.3 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 में निर्धारित है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है, जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या

⁴⁶ झारखण्ड रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड और अटल बिहारी वाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला

⁴⁷ कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड, पतरातू ऊर्जा लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड

⁴⁸ केडएल: 5वां एजीएम (15 सितं 2016), जेसीएल :15वीं बैठक (15 मई 2016) और 16वीं (2 फरवरी 2018)

सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी को, इस प्रतिवेदन में सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) यह प्रावधानित करता है कि सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 180 दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में यह प्रावधानित है कि सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के मामले में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिनों के अंदर की जानी चाहिए तथा यदि सीएजी इस अवधि में ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं, तो कंपनी के निदेशक मण्डल अथवा कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।

आगे, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, सीएजी, यदि आवश्यक समझें तो, एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते हैं तथा नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे।

किसी कंपनी की 31 मार्च 2014 अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 1956, के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.1.4 समय पर अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कार्य एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, उसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन माह के भीतर तैयार की जाएगी एवं इसके बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सीएजी द्वारा बनाई गई किसी अनुपूरक या टिप्पणी के साथ, सदनों या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर एकसाथ रखी जाएगी। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित विधानों में भी लगभग इसी तरह के प्रावधान हैं। यह क्रियाविधि, राज्य के समेकित कोष से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रति कैलेंडर वर्ष एक बार, अंशधारकों का एजीएम करना आवश्यक है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी दो एजीएम के बीच 15 माह से ज्यादा का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में यह निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में विचार हेतु रखा जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी के निदेशकों सहित, उन व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसे दंड लगाने का प्रावधान है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं।

पीएसयू की प्रकृति एवं लेखाओं की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 1.1.1: प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयू की प्रकृति

| पीएसयू की प्रकृति | कुल संख्या | पीएसयू की संख्या जिसके लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुई ⁴⁹ | | | | कुल | 31 दिसम्बर 2019 तक पीएसयू की संख्या जिसके लेखे बकाया थे (बकाया लेखाओं की कुल संख्या) |
|----------------------|------------|--|--------------------|--------------------|-----------|----------------|--|
| | | 2018-19 तक के लेखे | 2017-18 तक के लेखे | 2016-17 तक के लेखे | कुल | | |
| कार्यरत सरकारी कंपनी | 28 | 4 | 6 | 4 | 14 | 24(74) | |
| अकार्यरत | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 (6) | |
| कुल | 31 | 4 | 7 | 5 | 16 | 27 (80) | |

(स्रोत: पीएसयू के प्राप्त लेखे एवं पीएजी कार्यालय संधारित पीएसयू के डाटाबेस)

झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में निवेश

1.1.5 पीएसयू में झारखण्ड सरकार (झा.स.) की उच्च वित्तीय भागीदारी है, जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण-** अंश पूँजी के योगदान के अतिरिक्त, झा.स. समय-समय पर ऋण के रूप में भी पीएसयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** जब कभी आवश्यकता पड़ने पर, झा.स. अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में पीएसयू को बजटीय सहायता प्रदान करती है।

⁴⁹ 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019

- गारंटी - झा.स. पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों को ब्याज सहित चुकाने हेतु गारंटी भी देती है।

1.1.6 31 मार्च 2019 तक, पीएसयू में निवेशों का क्षेत्रवार सारांश तालिका 1.1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.1.2: राज्य पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश

| क्षेत्र का नाम | सरकारी कंपनी | | कुल | निवेश (₹ करोड़ में) | | |
|----------------|--------------|----------|-----------|---------------------|------------------|------------------|
| | कार्यरत | अकार्यरत | | अंश पूँजी | दीर्घकालीन ऋण | कुल |
| ऊर्जा | 5 | 3 | 8 | 4,244.02 | 14,561.42 | 18,805.44 |
| वित्त | 1 | 0 | 1 | 1.01 | 0 | 1.01 |
| सेवा | 8 | 0 | 8 | 49.33 | 43.96 | 93.29 |
| आधारभूत संरचना | 6 | 0 | 6 | 2,41.14 | 0 | 241.14 |
| अन्य | 8 | 0 | 8 | 72.56 | 5.43 | 77.99 |
| कुल | 28 | 3 | 31 | 4,608.06 | 14,610.81 | 19,218.87 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

विगत पाँच वर्षों के दौरान, पीएसयू में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ₹ 13,138.89 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 12,872.91 करोड़ (97.98 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

ऊर्जा क्षेत्र में वृहद-स्तर पर हुए निवेश को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा क्षेत्र के आठ पीएसयू के लेखापरीक्षा परिणाम, प्रतिवेदन में अलग से दिखाया गया है।

1.2 ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के क्रियाकलाप

परिचय

1.2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान देता है। मार्च 2019 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के टर्नओवर तथा झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण तालिका 1.2.1 में दिया गया है:

तालिका 1.2.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं झारखण्ड राज्य के जी एस डी पी का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| टर्नओवर | 3,620.31 | 3,717.16 | 3,816.87 | 4,122.72 | 4,122.72 ⁵⁰ |
| पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में टर्नओवर परिवर्तन | 6.19 | 2.68 | 2.68 | 8.01 | 0.00 |
| झारखण्ड का जीएसडीपी | 2,18,525 | 2,06,613 | 2,36,250 | 2,76,243 | 3,07,581 |
| पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में जीएसडीपी परिवर्तन | 15.89 | -5.45 | 14.34 | 16.93 | 11.34 |
| टर्नओवर का झारखण्ड के जीएसडीपी से प्रतिशत | 1.66 | 1.80 | 1.62 | 1.49 | 1.34 |

(स्रोत: वित्त विभाग, झा.स. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

वर्ष 2014-19 के दौरान, झारखण्ड के जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि⁵¹ दर 8.77 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि में, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का टर्नओवर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 2.47 प्रतिशत पर कमतर दर्ज हुई। इसके परिणामस्वरूप, जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के टर्नओवर की भागीदारी वर्ष 2014-15 में 1.66 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 1.34 प्रतिशत हो गई।

1.2.2 ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू का गठन

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विघटन तथा जेएसईबी के अस्तियों, संपत्तियों, देनदारियों, कर्तव्यों, कार्यवाही तथा कर्मियों को चार ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों (यथा- झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) में हस्तांतरित करने हेतु राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना, 2013 (जेएसईआरटीएस 2013) तैयार की (06 जनवरी 2014)। ये चार ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ 06 जनवरी 2014 से अस्तित्व आई तथा राज्य सरकार की देनदारियों को छोड़कर, जेएसईबी की सभी अस्तियों एवं देनदारियों को, जेएसईआरटी योजना, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इन कंपनियों में वितरित किया गया। राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2015 में जेएसईआरटी योजना को संशोधित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उत्पादन परिसंपत्तियों के क्रियाकलाप, व्यवसाय, अधिकार,

⁵⁰ टर्नओवर 2017-18 की वार्षिक लेखाओं पर आधारित है, क्योंकि दिसंबर 2019 तक उर्जा क्षेत्र पीएसयू द्वारा 2018-19 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे।

⁵¹ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर $[\{(2018-19 \text{ का मान}/2013-14 \text{ का मान})^{(1/5 \text{ वर्ष})} - 1\} * 100]$, जहाँ 2013-14 का टर्नओवर एवं जीएसडीपी क्रमशः ₹ 3,409.35 करोड़ तथा ₹ 1,88,567 करोड़ था

दायित्व, अस्तियाँ एवं देनदारियाँ पतरातू ताप विद्युत् केंद्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रशासित करने हेतु, राज्य सरकार में ही निहित रहेगी।

जेएसईआरटी योजना, 2013 में विद्युत् उद्योग की पुनर्स्थापना एवं जेएसईबी की शक्तियों, कर्तव्यों एवं क्रियाकलापों को राज्य सरकार की एक या अधिक ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को हस्तांतरित करने हेतु एक योजना तैयार करने का प्रावधान था। इन चार⁵² कंपनियों के अलावा, जेएसईआरटी योजना, 2013 से पहले चार अन्य विद्युत् क्षेत्र की कंपनियों का गठन हुआ था।

उपरोक्त चार कंपनियों में से, एक कंपनी यथा- तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी है तथा अन्य तीन कंपनियाँ यथा- कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड एवं पतरातू ऊर्जा लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ हैं (नवम्बर 1987 से अक्टूबर 2012)। इन आठ विद्युत् क्षेत्र की कंपनियों में से, तीन⁵³ कंपनियाँ 2018-19 तक व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थीं।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.2.3 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा, राज्य पीएसयू का विनिवेश पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2.4 31 मार्च 2019 तक, ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू में निवेश का गतिविधि-वार सारांश तालिका 1.2.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2.2: ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू में गतिविधि-वार निवेश

| गतिविधि | ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू की संख्या | निवेश (₹ करोड़ में) | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | पूँजी | दीर्घकालीन ऋण | कुल |
| विद्युत् उत्पादन | 2 | 145.13 | 715.90 | 861.03 |
| विद्युत् संचरण | 1 | 975.06 | 3,645.90 | 4,620.96 |
| विद्युत् वितरण | 1 | 3,111.03 | 10,148.81 | 13,259.84 |
| अन्य ⁵⁴ | 4 | 12.80 | 50.81 | 63.61 |
| कुल | 8 | 4,244.02 | 14,561.42 | 18,805.44 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

⁵² तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (26 नवंबर 1987), कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड (19 सितंबर 2018), झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (18 जून 2009) और पतरातू ऊर्जा लिमिटेड (26 अक्टूबर 2012)

⁵³ कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू ऊर्जा लिमिटेड

⁵⁴ झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

31 मार्च 2019 तक, आठ ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू में कुल निवेश (अंश पूँजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ₹ 18,805.44 करोड़ था। ₹ 14,561.42 करोड़ के कुल दीर्घकालीन ऋण में से, ₹ 13,353.12 करोड़ (91.70 प्रतिशत) राज्य सरकार से लिये गए थे तथा शेष ₹ 1,208.3 (8.30 प्रतिशत) करोड़ केंद्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गए थे।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.2.5 झारखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत चार वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बढ़े खाते में डाला गया ऋणों तथा पूँजी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय खर्च का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.2.3 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण ⁵⁵ | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि |
| अंश-पूँजी (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ऋण (ii) | 3 | 7,606.72 | 2 | 1,227.34 | 2 | 1,776.88 | 2 | 1,461.77 |
| अनुदान/सब्सिडी (iii) | 1 | 1,599.99 | 1 | 1,200.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 1250.00 |
| कुल व्यय (i+ii+iii) | 3 | 9,206.71 | 2 | 2,427.34 | 2 | 4,776.88 | 2 | 2,711.77 |
| गारंटी ⁵⁶ | - | - | - | - | - | - | 1 | 450.00 |
| प्रतिबद्ध ⁵⁷ गारंटी | - | - | - | - | - | - | 1 | 450.00 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन पीएसयू के द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 2427.34 करोड़ एवं ₹ 9206.71 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 2711.77 करोड़ की बजटीय सहायता में ₹ 1461.77 करोड़ तथा ₹ 1250 करोड़ क्रमशः अंश-पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में शामिल थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राजस्व कमी के लिए अनुदान/सब्सिडी दी गई (₹ 1250 करोड़) थी।

झारखण्ड सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत गारंटी प्रदान करती है। जेबीवीएनएल ने बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु झारखण्ड सरकार से

⁵⁵ केवल राज्य बजट से निर्गमित राशि

⁵⁶ किसी विशेष वर्ष के दौरान पीएसयू को जारी की गई सरकारी गारंटी (जेबीवीएनएल)

⁵⁷ किसी विशेष वर्ष के अंत में पीएसयू के संदर्भ में सरकार की गारंटी का अंतिम शेष (जेबीवीएनएल)

₹ 450 करोड़ के गारंटी प्रतिवद्धता प्राप्त की क्योंकि इस पीएसयू को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन

1.2.6 अंश-पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयू के अभिलेखों के आँकड़े झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़े से मिलने चाहिए। यदि ये आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयू एवं वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाशोधन करना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक, अंश-पूँजी, ऋण तथा गारंटियों के संबंध में आँकड़ों में भिन्नताएं थीं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1.2.4: वित्त लेखाओं एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियां

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | पीएसयू के नाम | राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार | | | झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं अनुसार राशी | | | अंतर | | |
|--------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | अंश-पूँजी | बकाया ऋण | प्रतिबद्ध गारंटी | अंश-पूँजी | बकाया ऋण | प्रतिबद्ध गारंटी | अंश-पूँजी | बकाया ऋण | प्रतिबद्ध गारंटी |
| 1 | टीवीएनएल | 105 | 665.9 | | 5 | 57 | | 100 | 608.9 | 0 |
| 2 | जेयूयूएनएल | 40.13 | 50 | | 0 | 50 | | 40.13 | 0 | 0 |
| 3 | जेबीवीएनएल | 3111.03 | 8956.4 | 450 | 0 | 8857.03 | 450.00 | 3111.03 | 99.3673 | 0 |
| 4 | जेयूएसएनएल | 975.06 | 3645.9 | | 0 | 3647.07 | | 975.06 | -1.17 | 0 |
| 5 | जेयूवीएनएल | 11.7 | | | 0 | 0 | | 11.7 | 0 | 0 |
| 6 | पीइएल | | 19.45 | | 0 | 20 | | 0 | -0.55 | 0 |
| 7 | केईएल | | 15.52 | | 0 | 16 | | 0 | -0.48 | 0 |
| | कुल | 4242.92 | 13353.17 | 450 | 5 | 12647.1 | 450 | 4237.92 | 706.0673 | 0 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना तथा मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्त लेखा)

आँकड़ों में अंतर विगत कई वर्षों से विद्यमान है। इन भिन्नताओं के समाशोधन हेतु मामले को समय समय पर पीएसयू/विभागों के समक्ष उठाया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.2.7 31 मार्च 2019 तक ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रम सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में थे। संविधिक आवश्यकता के अनुसार, 2018-19 के वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2019 तक इन उपक्रमों द्वारा नहीं प्रस्तुत किये गए। इनमें से किसी भी कंपनी ने, 31 दिसंबर 2019 समाप्त होने के बाद भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये।

तालिका 1.2.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | पीएसयू की संख्या | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले पीएसयू की संख्या | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | चालू वर्ष में अंतिम रूप दिये गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 5. | बकाया लेखे वाले पीएसयू की संख्या | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 6. | बकाया लेखाओं की संख्या | 31 | 35 | 26 | 23 | 17 |
| 7. | बकाया होने की समय-सीमा | 2 से 9 वर्ष | 3 से 8 वर्ष | 1 से 8 वर्ष | 1 से 5 वर्ष | 1 से 4 वर्ष |

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में अंतिमीकृत खातों का डाटाबेस)

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू अपने वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में उत्साहित नहीं हैं तथा आठ कंपनियों के मामले में बकाया होने की समय-सीमा एक से चार वर्ष तक थे।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

1.2.8 ऊर्जा क्षेत्र की आठ कंपनियों की, 31 दिसंबर 2019 तक उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणामों का विवरण परिशिष्ट 1.1.1 में हैं।

कंपनी की लाभप्रदता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से आकलित की जाती है।


निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

1.2.9 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत होता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के सभी कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि⁵⁸ को निम्नलिखित चार्ट

1.2.1 में दर्शाया गया है:

⁵⁸ आँकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार हैं

चार्ट 1.2.1: ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयू द्वारा उठायी गयी हानि 2014-15 में ₹ 1518.39 करोड़ के विरुद्ध 2018-19 में ₹ 479.44 करोड़ थी। 2018-19 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, पाँच कार्यरत पीएसयू में से, एक पीएसयू ने ₹ 92.57 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, चार पीएसयू ने ₹ 572.01 करोड़ की हानि उठाई तथा तीन अकार्यरत पीएसयू ने अभी तक संचालन/व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था।

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनी तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 92.57 करोड़) थी, जबकि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 358.27 करोड़ एवं ₹ 212.17 करोड़ की ठोस हानि उठायी।

(अ) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

1.2.10 आरओआरआर की गणना के प्रयोजन के लिए, इन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में झारखण्ड सरकार, भारत सरकार एवं अन्य के कुल निवेश का आँकड़ा, प्रत्येक वर्ष की अंश-पूँजी, जोड़ ब्याज-रहित ऋण और घटाव वे ब्याज-रहित ऋण, जो बाद में अंश-पूँजी/ब्याज-युक्त ऋण में परिणत हो गए, अनुदान, परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी घटाव विनिवेश को ध्यान में रखकर निकाला गया है।

तदनुसार, 31 मार्च 2019 तक इन आठ ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में झा.स., भा.स. एवं अन्य का निवेश ₹ 28,493.40 करोड़ था, जिसमें ₹ 4244.02 करोड़ अंश-पूँजी एवं ₹ 14,561.42 करोड़ दीर्घकालीन ऋण तथा ₹ 9689.94 करोड़ परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी के रूप में शामिल था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर नीचे दी गई है:

तालिका 1.2.6: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | झा.स. द्वारा निवेश | भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश | कुल निवेश | वर्ष के लिए कुल आय/हानि ⁵⁹ | निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (प्रतिशत में) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| | ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में | | | | |
| 2014-15 | 6,882.87 | 0 | 6,882.87 | -489.09 | -7.11 |
| 2015-16 | 8,482.86 | 0 | 8,482.86 | -1,147.83 | -13.53 |
| 2016-17 | 9,682.86 | 0 | 9,682.86 | -1,737.85 | -17.95 |
| 2017-18 | 12,682.86 | 0 | 12,682.86 | -469.28 | -3.70 |
| 2018-19 | 13,932.86 | 0 | 13,932.86 | -453.82 | -3.26 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

2018-19 में, आठ ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर ऋणात्मक थी। ऊर्जा क्षेत्र के समग्र नुकसान में, उपरोक्त अवधि के दौरान झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के भारी नुकसान का योगदान था।

(ब) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर

1.2.11 प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर, हालाँकि धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करते हुए, की जाती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना से आरओआरआर का आकलन अधिक पर्याप्त होता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में, ऊर्जा क्षेत्र के सभी पीएसयू में निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल थे। अतः निवेश पर प्रतिफल, पीवी के आधार पर परिकलित नहीं हो पायी।

निवल मूल्य का अपक्षरण

1.1.12 निवल मूल्य, कंपनी की प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं टाले गए राजस्व व्यय होता है। वास्तव में, यह स्वामियों के लिए यह इकाई कितना मूल्यवान है की माप है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि संचित हानियों एवं टाले गए राजस्व व्यय के द्वारा स्वामियों द्वारा किया गया समस्त निवेश का सफाया हो चुका है।

निम्न तालिका, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सभी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू, जिसमें होल्डिंग एवं सहायक कंपनियाँ शामिल हों, की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को दर्शाता है:

⁵⁹ संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार

तालिका 1.2.7: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | प्रदत्त पूँजी | मुक्त संचय | संचित हानि | निवल मूल्य |
|---------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 2014-15 | 5 | 4,379.31 | 0 | 1,293.89 | 3,085.42 |
| 2015-16 | 5 | 4,235.32 | 0 | 3,143.50 | 1,091.82 |
| 2016-17 | 5 | 4,235.32 | 0 | 4,996.74 | -761.42 |
| 2017-18 | 5 | 4,235.32 | 0 | 6,744.16 | -2,508.84 |
| 2018-19 | 5 | 4,235.32 | 0 | 6,744.16 | -2,508.84 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

ऊर्जा क्षेत्र के पांच कार्यरत पीएसयू में, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹-1918.33 करोड़) और तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹-1013.63 करोड़) ने ऋणात्मक निवल मूल्य दर्ज किया तथा उनकी प्रदत्त पूँजी पूरी तरह से अपक्षरित हो गया।

लाभांश अदायगी

1.2.13 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी।

अंश-पूँजी पर प्रतिफल

1.2.14 प्रबंधन द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों का उपयोग लाभ अर्जित करने हेतु कितने प्रभावपूर्ण तरीके से कर रहा है, इसके मूल्यांकन हेतु, अंश-पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन की एक माप है। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात्- करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को अंशधारक कोष से विभाजित करके की जाती है तथा इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है।

कंपनी के अंशधारक कोष की गणना प्रदत्त पूँजी जोड़ मुक्त संचय घटाव शुद्ध संचित हानि तथा टाले गए राजस्व व्यय द्वारा की जाती है और इससे यह पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बिक्री एवं सभी कर्ज भुगतान कर दिए जाएँ तो कंपनी के अंशधारकों के लिए कितना शेष रहता है। एक धनात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि कंपनी के पास, उसकी देनदारियों का निपटारा करने हेतु पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं, वहीं ऋणात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि देनदारियां, परिसंपत्तियों से ज्यादा हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपक्रमों जिसमें होल्डिंग एवं सहायक कंपनियाँ शामिल हैं के निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई और जो निम्नलिखित तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.2.8: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का आरओई

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | शुद्ध लाभ /हानि | अंशधारक कोष | आरओई प्रतिशत में |
|----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*100/4 |
| लाभ अर्जित करने वाली | 2014-15 | 1 | 92.57 | -1,013.63 | - |
| | 2015-16 | - | - | - | - |
| | 2016-17 | - | - | - | - |
| | 2017-18 | - | - | - | - |
| | 2018-19 | - | - | - | - |
| | 2014-15 | 4 | -484.33 | 3,695.47 | - |
| हानि उठाने वाली | 2015-16 | 4 | -1,260.79 | 2,105.45 | - |
| | 2016-17 | 4 | -1,864.8 | 252.21 | - |
| | 2017-18 | 4 | -572.08 | -1,495.21 | - |
| | 2018-19 | - | - | - | - |
| कुल | 2014-15 | 5 | -391.76 | 2,681.84 | - |
| | 2015-16 | 4 | -1,260.79 | 2,105.45 | - |
| | 2016-17 | 4 | -1,864.8 | 252.21 | - |
| | 2017-18 | 4 | -572.08 | -1,495.21 | - |
| | 2018-19 | - | - | - | - |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के आरओआई की गणना नहीं की गई क्योंकि या तो शुद्ध लाभ या अंशधारक कोष ऋणात्मक थे।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.2.15 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है, जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है, जिसके साथ इसकी पूँजी नियोजित है।

आरओसीई की गणना, कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी⁶⁰ से भाग देकर की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत सभी पाँच उपक्रमों का आरओसीई का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

⁶⁰ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त कोष एवं अधिशेष + दीर्घकालीन ऋण - संचित हानियाँ - टाले गए राजस्व व्यय। जिन पीएसयू के लेखे अंतिमिकृत हैं, आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं।

तालिका 1.2.9: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | ईबीआईटी | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल | आरओसीई (प्रतिशत में) |
|----------------------|---------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*100/4 |
| लाभ अर्जित करने वाली | 2014-15 | 1 | 194.8 | -65.13 | - |
| | 2015-16 | - | - | - | - |
| | 2016-17 | - | - | - | - |
| | 2017-18 | - | - | - | - |
| | 2018-19 | - | - | - | - |
| हानि उठाने वाली | 2014-15 | 4 | -362.42 | 11,055.38 | - |
| | 2015-16 | 4 | -1,066.28 | 19,108.3 | - |
| | 2016-17 | 4 | -1,656.84 | 17,328.32 | - |
| | 2017-18 | 4 | -144.35 | 21,227.81 | - |
| | 2018-19 | - | - | - | - |
| कुल | 2014-15 | 5 | -167.62 | 10,990.25 | - |
| | 2015-16 | 4 | -1,066.28 | 19,108.3 | - |
| | 2016-17 | 4 | -1,656.84 | 17,328.32 | - |
| | 2017-18 | 4 | -144.35 | 21,227.81 | - |
| | 2018-19 | - | - | - | - |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों के आरओसीई की गणना नहीं की गई क्योंकि सभी कंपनियाँ घाटे में थीं।

कंपनियों के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण

1.2.16 कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के भुगतान की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम, जिनमें 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान लिवरेज⁶¹ था, के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.2.17 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी कंपनी की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कमतर होगी। “1” से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात यह इंगित करता है कि कंपनी अपने ब्याज पर व्यय के लिए पर्याप्त राजस्व

⁶¹ लिवरेज का अर्थ ऋण की वह राशि है, जिसे कोई संस्था परिसंपत्तियों के वित्त-पोषण हेतु उपयोग करती है

उत्पन्न नहीं कर रही थी। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों, जिनपर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ब्याज का बोझ था, का ब्याज व्याप्ति अनुपात नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.2.10: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात

| वर्ष | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज एवं करों से पूर्व आय (इबीआईटी) (₹ करोड़ में) | कंपनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के ऋण का दायित्व था | कंपनियों की संख्या, जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से अधिक था | कंपनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से कम था |
|---------|------------------------|---|---|--|---|
| 2014-15 | 224.14 | -167.62 | 4 | 1 | 3 |
| 2015-16 | 250.28 | -1066.28 | 3 | 0 | 3 |
| 2016-17 | 310.94 | -1656.84 | 3 | 0 | 3 |
| 2017-18 | 645.85 | -144.35 | 3 | 0 | 3 |
| 2018-19 | - | - | - | - | - |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

यह देखा गया कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान, तीन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.2.18 विगत पाँच वर्षों के दौरान, आठ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2.47 प्रतिशत था तथा ऋण का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.64 प्रतिशत था, जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2018-19 में, 2014-15 के 0.47 से गिरकर 3.53 हो गया, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.2.11: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण | 1,688.51 | 9,155.12 | 10,419.84 | 12,218.4 | 14,561.42 |
| टर्नओवर | 3,629.85 | 3,782.28 | 3,708.16 | 4,122.72 | 4,122.72 |
| ऋण-टर्नओवर अनुपात | 0.47:1 | 2.42:1 | 2.81:1 | 2.96:1 | 3.53:1 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.2.19 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि इसपर कार्यपालिका उचित एवं समयबद्ध जवाब प्रस्तुत करे। झा.स. के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को यह निर्देश दिया (नवंबर 2015) कि सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षा के उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, निर्धारित प्रारूप में, लोक उपक्रम समिति (कोपू) से

किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बगैर, विधायिका में इसके प्रस्तुतीकरण के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करें। ऊर्जा विभाग से संबंधित 20 कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षा की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रतिक्षित थे (दिसंबर 2019)। विस्तृत विवरण तालिका 1.2.12 में दिया गया है:

तालिका 1.2.12: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 दिसंबर 2019 तक)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) का वर्ष | प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र की कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) एवं कंडिकाएँ | | ऊर्जा क्षेत्र की कंडिकाओं/ नि.ले. की संख्या जिनके व्याख्यात्मक नोट प्राप्त नहीं हुए थे | |
|--|--|---|-----------|--|-----------|
| | | नि.ले. | कंडिकाएँ | नि.ले. | कंडिकाएँ |
| 2006-07 | 26 मार्च 08 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2007-08 | 10 जुलाई 09 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2008-09 | 13 अगस्त 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2009-10 | 29 अगस्त 11 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 06 सितम्बर 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 27 जुलाई 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 05 मार्च 14 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2013-14 | 26 मार्च 15 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 15 मार्च 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 12 अगस्त 17 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2016-17 | 27 दिसम्बर 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| कुल | | 9 | 39 | 4 | 16 |

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में संधारित डाटाबेस)

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.2.20 31 दिसंबर 2020 तक ऊर्जा क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं कंडिकाएं जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) में शामिल हुईं तथा जिसपर कोपू द्वारा चर्चा की गयी, निम्नवत हैं:

तालिका 1.2.13: 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल बनाम चर्चित ऊर्जा क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं कंडिकाएँ

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अवधि | नि.ले./ कंडिकाओं की संख्या | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल | | चर्चित कंडिकाएँ | |
| | नि.ले. | कंडिकाएँ | नि.ले. | कंडिकाएँ |
| 2004-05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2005-06 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2006-07 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2008-09 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2009-10 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2010-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2013-14 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2014-15 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2015-16 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2016-17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| कुल | 11 | 44 | 7 | 25 |

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में संधारित डाटाबेस)

लोक उपक्रम समिति को, पहली बैठक (अगस्त 2018) में ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा में हो रहे विलंब से अवगत कराया गया। 2018-19 के दौरान, कोपू ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित किसी भी कंडिकाओं पर चर्चा नहीं की।

1.2.21 सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4 मार्च 2014 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत कोपू के ग्यारहवें प्रतिवेदन में शामिल तीन उप-कंडिकाओं पर कृत-कार्यवाही टिप्पणी (कृ.का.टि.) प्राप्त हुई तथा 12 मार्च 2008 एवं 29 जनवरी 2019 के बीच राज्य विधानसभा में प्रस्तुत कोपू के प्रतिवेदनों में शामिल आठ कंडिकाओं एवं 20 उप-कंडिकाओं पर कृ.का.टि. अभी प्राप्त होने बाकी थे, जैसा कि तालिका 1.2.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2.14: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

| कोपू प्रतिवेदन का वर्ष | कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या | कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या | अनुशंसाओं की संख्या जहाँ कृ.का.टि. प्राप्त हुए |
|------------------------|------------------------------|--|--|
| कुल | 14 | 31 | 3 |

(स्रोत: झा.स. के विभागों से प्राप्त कृ.का.टि.)

कोपू की प्रतिवेदनों में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित कंडिकाओं पर अनुशांसाएं शामिल थीं जो सीएजी के प्रतिवेदनों में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2009-10 एवं 2010-11 में शामिल किये गए थे।

1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के क्रियाकलाप

परिचय

1.3.1 31 मार्च 2019 तक, यहाँ 23 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे, जो ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य पीएसयू 2001-02 से 2018-19 के दौरान निगमित किए गए थे। 23 सरकारी कंपनियों में से एक, किसी अन्य सरकारी कंपनी की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 2018-19 तक, पाँच⁶² सरकारी कंपनियों ने वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थीं।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

1.3.2 मार्च 2019 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों की अवधि में राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के टर्नओवर एवं झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गयी तालिका में है:

तालिका 1.3.1: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के टर्नओवर के विरुद्ध झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण
(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| टर्नओवर | 1,148.33 | 1,134.81 | 1,130.4 | 1,142.26 | 1,161.00 |
| पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर परिवर्तन का प्रतिशत | 0.17 | -1.18 | -0.39 | 1.05 | 1.64 |
| झारखण्ड का जीएसडीपी | 2,18,525 | 2,06,613 | 2,36,250 | 2,76,243 | 3,07,581 |
| पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी परिवर्तन का प्रतिशत | 15.89 | -5.45 | 14.34 | 16.93 | 11.34 |
| टर्नओवर का झारखण्ड के जीएसडीपी से प्रतिशत | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.38 |

(स्रोत: वित्त विभाग, झा.स.. द्वारा प्रदत्त सूचना)

2018-19 में, जीडीएसपी के सापेक्ष पीएसयू का टर्नओवर 0.38 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 0.41 प्रतिशत से कम था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि⁶³ दर 8.77 प्रतिशत रही, जबकि उसी अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) ने टर्नओवर का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 0.66 प्रतिशत दर्ज किया।

⁶² i) झारखण्ड रेल संरचना विकास लिमिटेड, ii) झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड, iii) झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड, iv) झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड तथा v) अटल बिहारी बाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला।

⁶³ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर $[[\{(2018-19 \text{ का मान } / 2013-14 \text{ का मान})^{(1/5 \text{ वर्ष})} - 1\}] * 100]$, जहाँ 2013-14 का टर्नओवर एवं जीएसडीपी क्रमशः ₹ 1,146.43 करोड़ एवं ₹ 1,88,567 करोड़ था।

इसके परिणामस्वरूप, जीएसडीपी में इन पीएसयू के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 0.53 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.38 प्रतिशत हो गई।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में निवेश

1.3.3 कुछ पीएसयू ऐसे हैं, जो राज्य सरकार को कतिपय सेवाएं प्रदान करने हेतु एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से निजी क्षेत्र प्रदान नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा, सरकार ने पीएसयू के माध्यम से कतिपय व्यापार क्षेत्रों में निवेश किया, जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत हैं। इसलिए, इन पीएसयू की स्थिति का विश्लेषण, दो मुख्य श्रेणियों के तहत किया गया है यथा- जो सामाजिक क्षेत्र में हैं तथा जो प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत हैं। इसके अलावा, इनमें से, दो⁶⁴ राज्य पीएसयू को, जो राज्य सरकार के बदले कतिपय विशिष्ट कार्य निष्पादित करने हेतु निगमित हुए थे, “अन्य” कोटि में श्रेणीबद्ध किया गया है।

1.3.4 31 मार्च 2019 तक, इन पीएसयू में निवेशों का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3.2 : राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में क्षेत्रवार निवेश

| क्षेत्र | पीएसयू की संख्या | निवेश (₹ करोड़ में) | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | अंश-पूँजी | दीर्घकालीन ऋण | कुल |
| सामाजिक क्षेत्र | 9 | 30.56 | 49.21 | 79.77 |
| प्रतिस्पर्धी वातावरण वाले पीएसयू | 12 | 318.48 | 0.18 | 318.66 |
| अन्य | 2 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| कुल | 23 | 364.04 | 49.39 | 413.43 |


(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

31 मार्च 2019 तक, 23 पीएसयू में कुल निवेश (अंश-पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 413.43 करोड़ था। कुल ₹ 49.39 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण में से, ₹ 0.18 करोड़ वित्तीय संस्थानों से ली गई थी।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में झा.स. के निवेश का वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट 1.1.2 में वर्णित है, जैसा नीचे दिखाया गया है:

⁶⁴ झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड एवं राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड

चार्ट 1.3.1: वर्ष के अंत तक राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में झा.स. का कुल निवेश



राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.3.5 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा, राज्य पीएसयू का विनिवेश पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) को बजटीय सहायता

1.3.6 झा.स. वार्षिक बजट के माध्यम से राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत चार वर्षों का, राज्य पीएसयू के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाला गया ऋणों तथा पूँजी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय खर्च का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.3.3: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण ⁶⁵ | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि |
| अंश-पूँजी (i) | 3 | 10.74 | 5 | 58 | 2 | 70 | 3 | 67.08 |
| दिया गया ऋण (ii) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii) | 1 | 8.14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| कुल बहिर्गमन (i+ii+iii) | 4 | 18.88 | 5 | 58 | 2 | 70 | 3 | 67.08 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

65

राशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमित

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन पीएसयू के द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 18.88 करोड़ एवं ₹ 70.00 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 67.08 करोड़ की बजटीय सहायता अंश-पूँजी के रूप में है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने इन पीएसयू को कोई ऋण प्रदान नहीं की थी। झा.स. ने किसी भी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को न तो गारंटी जारी की और न ही गारंटी प्रतिबद्धता प्रदान की।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन

1.3.7 अंश-पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के अभिलेखों के आँकड़े झा.स. के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि ये आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयू एवं वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाशोधन करना चाहिए।

तालिका 1.3.4: 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखाओं एवं राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के लेखाओं में शेष अंश-पूँजी तथा ऋण में अंतरों को दिखाता विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्रम. सं. | पीएसयू का नाम | पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार | | झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार | | अंतर | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--------------|---|----------|----------------|---------------|
| | | प्रदत्त पूँजी | बकाया ऋण | प्रदत्त पूँजी | बकाया ऋण | प्रदत्त पूँजी | बकाया ऋण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | जे.आर.आई.डी.सी.एल | 4.08 | 0.00 | 5 | 0 | 0.92 | 0.00 |
| 2 | जुडको | 15 | 0.00 | 25 | 0 | 10 | 0.00 |
| 3 | जी.आर.डी.ए | 164.14 | 0.00 | 25 | 0 | -139.14 | 0.00 |
| 4 | जे.एस.ए.डी.सी.एल | 2 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0.00 |
| 5 | जे.एस.एफ.डी.सी | 0.55 | 0.00 | 0.05 | 0 | -0.5 | 0.00 |
| 6 | झालको | 5 | 5.25 | 5 | 0 | 0 | -5.25 |
| 7 | जे.एस.एफ.सी.एस | 5 | 43.96 | 0.00 | 0 | -5 | -43.96 |
| 8 | जे.एस.एम.एफ.डी.सी | 1.01 | 0 | 4.25 | 0 | 3.24 | 0.00 |
| 9 | जे.एम.एच.आई.पी.डी.सी.एल | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0.00 |
| 10 | आर.एस.सी.सी.एल. | 13 | 0 | 10 | 0 | -3 | |
| | कुल | 214.78 | 49.21 | 74.3 | 0 | -140.48 | -49.21 |

यह देखा गया कि 23 राज्य पीएसयू में से 10 पीएसयू में इस प्रकार का अंतर घटित हुआ था, जैसा कि उपर तालिका में दर्शाया गया है। आँकड़ों के बीच अंतर कई वर्षों से निरंतर विद्यमान हैं। इन भिन्नताओं के समाशोधन हेतु मामले को समय समय पर पीएसयू/विभागों के समक्ष उठाया गया। शेषों में बड़ा अंतर ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में पाया गया। अतः लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अंतरों का समाशोधन करना चाहिए।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.3.8 कुल 23 राज्य पीएसयू में से, 31 मार्च 2019 तक सभी पीएसयू सीएजी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत थे। लेखाओं को तैयार करने में राज्य पीएसयू द्वारा निर्धारित समयावधि के पालन की स्थिति नीचे वर्णित है:

कार्यरत राज्य पीएसयू द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

1.3.8.1 वर्ष 2018-19 के लेखे को, सभी कार्यरत पीएसयू द्वारा 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, 23 कार्यरत सरकारी कंपनियों में से किसी भी सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2018-19 के अपने लेखे को सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु 30 सितम्बर 2019 या उससे पहले प्रस्तुत नहीं किये, जबकि 23 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे।

चार सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 31 दिसंबर 2019 से पहले प्रस्तुत किये। 31 दिसंबर 2019 तक पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के लेखाओं के बकाया प्रस्तुतीकरण के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.3.5: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) की लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

| क्र.सं | विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | कार्यरत पीएसयू की संख्या | 17 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| 2. | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 3. | चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले पीएसयू की संख्या | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 4. | पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनके लेखाओं को चालू वर्ष में अंतिम रूप दिया गया | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 |
| 5. | कार्यरत पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया थे | 17 | 17 | 20 | 21 | 17 |
| 6. | बकाया लेखाओं की संख्या | 36 | 42 | 51 | 58 | 63 |
| 7. | बकाया होने की समय-सीमा | 1 से 09 वर्ष | 1 से 10 वर्ष | 1 से 08 वर्ष | 1 से 09 वर्ष | 1 से 09 वर्ष |

(स्रोत: 1 जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए पीएसयू के लेखे)

इन 23 कार्यरत राज्य पीएसयू में से, 10 पीएसयू ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान 15 वार्षिक लेखाओं को अंतिमीकृत किया, जिसमें वर्ष 2018-19 के 4 तथा बीते वर्षों के 11 लेखे शामिल थे। आगे, 63 वार्षिक लेखे बकाया थे, जो 17 पीएसयू (2018-19 में निगमित दो पीएसयू) से संबंधित थे। इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी तथा इन पीएसयू द्वारा लेखाओं के निर्धारित समय में अंतिमीकरण करना एवं अपनाना सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर

है। बकाया लेखाओं के संबंध में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को तिमाही सूचित किया जाता है।

शेष 17 पीएसयू में लेखाओं के अंतिमीकरण एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि निवेश एवं किए गए व्यय सही तरीके से लेखांकित किए गए तथा वह उद्देश्य, जिसके लिए राशि का निवेश हुआ था, प्राप्त हो गए थे। इसलिए, इन पीएसयू में झा.स. के निवेश, राज्य विधानसभा की निगरानी से बाहर रह गए।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के लेखाओं के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव

1.3.9 जैसा कि कंडिका 1.3.8 में कहा गया है, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब में, संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव का खतरा सन्निहित है। बकाया लेखाओं की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2018-19 के राज्य जीडीपी में राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का वास्तविक योगदान

का पता नहीं लग सका तथा राजकोष में उनके योगदान को राज्य विधायिका में भी प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अनुशंसा: सरकार को पीएसयू के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा लेखाओं के बकाए की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन


1.3.10 31 दिसम्बर 2019 तक 16 कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का, अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम।

कंपनी की लाभप्रदता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से आकलित की जाती है।

1.3.11 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत होता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सभी कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि⁶⁶ को निम्नलिखित चार्ट 1.3.2 में चित्रित है:

⁶⁶ आँकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार हैं

चार्ट 1.3.2: वर्ष के दौरान कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी, झारखण्ड राज्य पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाभ अर्जित करने के कारण इन कार्यरत पीएसयू का लाभ 2014-15 के ₹ 15.9 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 25.63 करोड़ हो गया। 2018-19 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 16 कार्यरत राज्य पीएसयू में से, 9 पीएसयू ने ₹ 37.25 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 7 पीएसयू ने ₹ 11.62 करोड़ की हानि उठाई। सात गैर-ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने अपना प्रथम लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया था।

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनी झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (₹ 11.95 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 5.90 करोड़) और ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी (₹ 8.86 करोड़) थी जबकि झारक्राफ्ट (₹ 4.62 करोड़) और झालको (₹ 3.65 करोड़) को घाटा हुआ।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

1.3.12 आरओआरआर की गणना के प्रयोजन के लिए, इन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में झा.स., भा.स. एवं अन्य के कुल निवेश का आँकड़ा, प्रत्येक वर्ष की अंश-पूँजी, जोड़ ब्याज-रहित ऋण और घटाव वे ब्याज-रहित ऋण, जो बाद में अंश-पूँजी/ ब्याज-युक्त ऋण में परिणत हो गए, अनुदान, परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी घटाव विनिवेश को ध्यान में रखकर निकाला गया है।

तदनुसार, 31 मार्च 2019 तक इन 23 पीएसयू में झा.स., भा.स. एवं अन्य का निवेश ₹ 332.28 करोड़, ₹ 49.21 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण (सभी ब्याज रहित ऋण) एवं ₹ 21.09 करोड़ का अनुदान था। इस प्रकार, इन 23 पीएसयू में ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश ₹ 402.58 करोड़ (₹ 332.28 करोड़ + ₹ 49.21 करोड़ + ₹ 21.09 करोड़) था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर नीचे दी गई है:

तालिका 1.3.6: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

| वर्ष वार | वर्ष के लिए कुल आय | झा.स. द्वारा निवेश | भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश | कुल निवेश | ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--|
| क्षेत्र वार विच्छेद | | | | | |
| ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में | | | | | |
| 2014-15 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.25 | 69.12 | 0 | 69.12 | 6.15 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 5.05 | 90.64 | 0 | 90.64 | 5.57 |
| अन्य | 5.95 | 2 | 0 | 2 | 297.50 |
| कुल | 15.25 | 161.76 | 0 | 161.76 | 9.43 |
| 2015-16 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.61 | 73.76 | 0 | 73.76 | 6.25 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 10.98 | 134.64 | 0 | 134.64 | 8.16 |
| अन्य | 4.74 | 2 | 0 | 2 | 237.00 |
| कुल | 20.33 | 210.4 | 0 | 210.4 | 9.66 |
| 2016-17 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.58 | 80.76 | 0 | 80.76 | 5.67 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 23.72 | 209.64 | 0 | 209.64 | 11.31 |
| अन्य | 6.02 | 2 | 0 | 2 | 301.00 |
| कुल | 34.32 | 292.4 | 0 | 292.4 | 11.74 |
| 2017-18 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.58 | 85.77 | 0 | 85.77 | 5.34 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 1.26 | 279.64 | 0 | 279.64 | 0.45 |
| अन्य | 4.33 | 2 | 0 | 2 | 216.50 |
| कुल | 10.17 | 367.41 | 0 | 367.41 | 2.77 |
| 2018-19 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 3.56 | 96.94 | 0 | 96.94 | 3.67 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 18.6 | 290.64 | 0 | 290.64 | 6.40 |
| अन्य | 3.47 | 15 | 0 | 15 | 23.13 |
| कुल | 25.63 | 402.58 | 0 | 402.58 | 6.37 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर, पीएसयू की कुल आय⁶⁷ को झा.स., भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश से भाग देकर निकाली गयी है। झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (₹ 11.95 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 5.90 करोड़) और ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी (₹ 8.86 करोड़) के लाभ अर्जित करने के कारण

⁶⁷ इसमें संबंधित वर्ष के उन राज्य पीएसयू, जहाँ राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है, का शुद्ध लाभ/ हानि शामिल है।

2018-19 में इन 16 राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का निवेश पर अर्जित वास्तविक प्रतिफल की दर धनात्मक थी।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

1.3.13 प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर, हालांकि धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करते हुए की जाती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना से आरओआरआर का आकलन अधिक पर्याप्त होता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में, इन 16 पीएसयू में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल धनात्मक थे। अतः इन चार वर्षों में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना एवं चित्रण पीवी के आधार पर की गयी।

इन 16 पीएसयू में निवेश का पीवी निम्नलिखित अवधारणाओं पर संगणित था:

- निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना के लिए संचयित अंश-पूँजी घटाव विनिवेश, ब्याज-रहित ऋण तथा अनुदान, परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी के रूप में उपलब्ध धन के आधार पर निवेश माना गया है। पीएसयू द्वारा ऋण वापसी के मामलों में, पीवी की गणना उस अवधि में ऋण के घटे हुए शेष पर की गयी थी।
- संबंधित वित्तीय वर्ष⁶⁸ के लिये सरकारी ऋण पर औसत ब्याज की दर, वर्तमान मूल्य पर पहुँचने हेतु चक्रवृद्धि दर रूप में अपनाया गया है, क्योंकि ये, वर्ष के दौरान निवेश किये गए धन पर लागत को दर्शाता है और इसलिए यह निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में विचारित होता है।

1.3.14 31 मार्च 2019 तक, झा.स., भा.स एवं अन्य के अंशपूँजी के रूप में इन 19 पीएसयू में निवेश ₹ 332.28 करोड़, ₹ 49.21 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण (सभी ब्याज रहित ऋण) एवं ₹ 21.09 करोड़ का अनुदान था। 31 मार्च 2019 तक झा.स., भा.स. एवं अन्य द्वारा लगाए गए धन का पीवी ₹ 597.41 करोड़ था।

1.3.15 चूँकि वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, नौ पीएसयू ने लाभ अर्जित किया, इन वर्षों के लिए राज्य सरकार की निधि पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य पर प्रतिफल की क्षेत्रवार तुलना नीचे दी गयी है:

⁶⁸ सरकारी ऋण पर औसत ब्याज दर संबंधित वर्ष के राज्य वित्त (झारखण्ड सरकार) पर सीएजी के प्रतिवेदनों से अपनाया गया था, जिसमें औसत भुगतित ब्याज दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियां + चालू वर्ष की राजकोषीय देनदारियां)/2]*100

तालिका 1.3.7: राज्य सरकार की निधि पर प्रतिफल (वर्तमान मूल्य)

(₹ करोड़ में)

| वर्ष वार | वर्ष के लिए कुल आय | झा.स. द्वारा निवेश | भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश | कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | निवेश के वर्तमान मूल्य को विचार करते हुए कुल निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (%) | ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|
| क्षेत्र वार विच्छेद | | | | | | | |
| ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंशपूजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में | | | | | | | |
| 2014-15 | | | | | | | |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 5.05 | 90.64 | 0 | 90.64 | 126.44 | 3.99 | 5.57 |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.25 | 69.12 | 0 | 69.12 | 109.15 | 3.89 | 6.15 |
| अन्य | 5.95 | 2 | 0 | 2 | 5.62 | 105.85 | 297.50 |
| कुल | 15.25 | 161.76 | 0 | 161.76 | 241.21 | 6.32 | 9.43 |
| 2015-16 | | | | | | | |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 10.98 | 134.64 | 0 | 134.64 | 181.74 | 6.04 | 8.16 |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.61 | 73.76 | 0 | 73.76 | 121.33 | 3.80 | 6.25 |
| अन्य | 4.74 | 2 | 0 | 2 | 5.99 | 79.08 | 237.00 |
| कुल | 20.33 | 210.4 | 0 | 210.4 | 309.07 | 6.58 | 9.66 |
| 2016-17 | | | | | | | |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 23.72 | 209.64 | 0 | 209.64 | 274.10 | 8.65 | 11.31 |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.58 | 80.76 | 0 | 80.76 | 137.01 | 3.34 | 5.67 |
| अन्य | 6.02 | 2 | 0 | 2 | 6.40 | 94.08 | 301.00 |
| कुल | 34.32 | 292.4 | 0 | 292.4 | 417.50 | 8.22 | 11.74 |
| 2017-18 | | | | | | | |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 1.26 | 279.64 | 0 | 279.64 | 368.12 | 0.34 | 0.45 |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.58 | 85.77 | 0 | 85.77 | 151.93 | 3.01 | 5.34 |
| अन्य | 4.33 | 2 | 0 | 2 | 6.85 | 63.25 | 216.50 |
| कुल | 10.17 | 367.41 | 0 | 367.41 | 526.89 | 1.93 | 2.77 |
| 2018-19 | | | | | | | |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 18.6 | 290.64 | 0 | 290.64 | 402.96 | 4.62 | 6.40 |
| सामाजिक क्षेत्र | 3.56 | 96.94 | 0 | 96.94 | 173.36 | 2.05 | 3.67 |
| अन्य | 3.47 | 15 | 0 | 15 | 21.09 | 16.45 | 23.13 |
| कुल | 25.63 | 402.58 | 0 | 402.58 | 597.41 | 4.29 | 6.37 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

2014-15 में, ऐतिहासिक लागत के आधार पर कुल निवेश पर अर्जित प्रतिफल 9.43 प्रतिशत था, जो 2018-19 के दौरान लाभ में व्यापक कमी के कारण घटकर 6.37 प्रतिशत

रह गया, यद्यपि, वहां अतिरिक्त अंशपूँजी, अनुदान, सब्सिडी का विलय था; जबकि उसी अवधि के दौरान, निवेश के वर्तमान मूल्य को लेते हुए कुल निवेश पर अर्जित प्रतिफल 6.32 प्रतिशत एवं 4.29 प्रतिशत था। आगे, इस अवधि के दौरान, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र का ऐतिहासिक लागत पर निवेश के आधार पर 5.57 प्रतिशत और 6.40 प्रतिशत प्रतिफल के विरुद्ध, वर्तमान मूल्य पर प्रतिफल क्रमशः 3.99 प्रतिशत एवं 4.62 प्रतिशत था।

निवल मूल्य का अपक्षरण

1.3.16 निवल मूल्य, कंपनी की प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं टाले गए राजस्व व्यय होता है। वास्तव में, यह स्वामियों के लिए यह इकाई कितना मूल्यवान है की माप है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि संचित हानियों एवं टाले गए राजस्व व्यय के द्वारा स्वामियों द्वारा किया गया समस्त निवेश का सफाया हो चुका है।

निवेश और संचित घाटे के विश्लेषण से पता चला कि 16 कार्यरत पीएसयू में से तीन की प्रदत्त पूँजी पूरी तरह से अपक्षरित हो गई थी। इन तीन पीएसयू में से, प्रदत्त पूँजी झारक्राफ्ट, झालको एवं झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड में पूरी तरह से अपक्षरित हो गई थी।

नीचे की तालिका में, 2014-15 से 2015-19 की अवधि के दौरान 16 कार्यरत पीएसयू की कुल प्रदत्त पूँजी, कुल मुक्त संचय, कुल अधिभार, कुल संचित हानि और निवल मूल्य को दर्शाया गया है:

तालिका 1.3.8: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | गैर-ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की संख्या | प्रदत्त पूँजी | मुक्त संचय | संचित हानि | निवल मूल्य |
|---------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 2014-15 | 11 | 80.55 | 0 | 260.84 | 341.39 |
| 2015-16 | 12 | 87.29 | 0 | 224.41 | 311.70 |
| 2016-17 | 15 | 152.7 | 0 | 242.31 | 395.01 |
| 2017-18 | 15 | 172.7 | 0 | 235.11 | 407.81 |
| 2018-19 | 16 | 180.7 | 0 | 249.83 | 430.53 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

जैसा कि देखा जा सकता है, राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का निवल मूल्य विगत पाँच वर्षों में धनात्मक था। 2018-19 में प्रदत्त पूँजी एवं अधिभार में वृद्धि के कारण, निवल मूल्य 2014-15 के ₹ 341.49 से बढ़कर ₹ 430.53 हो गया था।

लाभांश अदायगी

1.3.17 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी।

अंश-पूँजी पर प्रतिफल

1.3.18 प्रबंधन द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों का उपयोग लाभ अर्जित करने हेतु कितने प्रभावपूर्ण तरीके से कर रहा है, इसके मूल्यांकन हेतु, अंश-पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन की एक माप है। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात्- करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को अंशधारक कोष से विभाजित करके की जाती है तथा इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है।

कंपनी के अंशधारक कोष की गणना प्रदत्त पूँजी जोड़ मुक्त संचय घटाव शुद्ध संचित हानि तथा टाले गए राजस्व व्यय द्वारा की जाती है और इससे यह पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियाँ बिक्री एवं सभी कर्ज भुगतान कर दिए जाएँ तो कंपनी के अंशधारकों के लिए कितना शेष रहता है। एक धनात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि कंपनी के पास, उसकी देनदारियों का निपटारा करने हेतु पर्याप्त परिसंपत्तियाँ हैं, वहीं ऋणात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि देनदारियाँ, परिसंपत्तियों से ज्यादा हैं। सभी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का, जिनमें होल्डिंग एवं सहायक कंपनियाँ शामिल थी, अंश-पूँजी पर प्रतिफल संगणित किया गया।

नवीनतम वार्षिक वित्तीय लेखाओं के आधार पर लाभ अर्जित या हानि उठाने वाले राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का क्षेत्रवार अंश-पूँजी पर प्रतिफल निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.3.9: सभी पीएसयू का अंश-पूँजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल

| | इबीआईटी | अंशधारक कोष | आरओई प्रतिशत में |
|----------------------|---------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 =2*100/3 |
| 2014-15 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.25 | 225.84 | 1.88 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 5.05 | 85.43 | 5.91 |
| बन्य | 5.95 | 30.67 | 19.40 |
| कुल | 15.25 | 341.94 | 4.46 |
| 2015-16 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.61 | 185.93 | 2.48 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 10.98 | 91.37 | 12.02 |
| बन्य | 4.74 | 35.41 | 13.39 |
| कुल | 20.33 | 312.71 | 6.50 |
| 2016-17 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 4.58 | 187.90 | 2.44 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 23.72 | 166.69 | 14.23 |
| बन्य | 6.02 | 41.43 | 14.53 |
| कुल | 34.32 | 396.02 | 8.67 |

| 2017-18 | | | |
|----------------------|-------|--------|-------|
| सामाजिक क्षेत्र | 4.58 | 187.90 | 2.44 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 1.26 | 175.16 | 0.72 |
| बन्य | 4.33 | 45.76 | 9.46 |
| कुल | 10.17 | 408.82 | 2.49 |
| 2018-19 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 3.56 | 194.89 | 1.83 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 18.60 | 132.00 | 14.09 |
| बन्य | 3.47 | 49.14 | 7.06 |
| कुल | 25.63 | 376.03 | 6.82 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

नवीनतम वार्षिक वित्तीय लेखाओं के आधार पर लाभ अर्जित या हानि उठाने वाले राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का अंश-पूँजी पर प्रतिफल निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.3.10: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का अंश-पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | पीएसयू की संख्या | शुद्ध लाभ /हानि | अंशधारक कोष | आरओई प्रतिशत में |
|----------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*100/4 |
| लाभ अर्जित करने वाली | 2014-15 | 8 | 31.70 | 325.82 | 9.73 |
| | 2015-16 | 8 | 30.62 | 342.33 | 8.94 |
| | 2016-17 | 10 | 38.87 | 392.47 | 9.90 |
| | 2017-18 | 7 | 27.10 | 326.98 | 8.29 |
| | 2018-19 | 9 | 37.25 | 526.26 | 7.08 |
| हानि उठाने वाली | 2014-15 | 2 | -16.45 | -25.16 | - |
| | 2015-16 | 4 | -10.29 | -29.62 | - |
| | 2016-17 | 5 | -4.55 | 3.55 | - |
| | 2017-18 | 8 | -16.93 | 81.84 | - |
| | 2018-19 | 7 | -11.62 | 5.28 | - |
| कुल* | 2014-15 | 10 | 15.25 | 300.66 | 5.07 |
| | 2015-16 | 12 | 20.33 | 312.71 | 6.50 |
| | 2016-17 | 15 | 34.32 | 396.02 | 8.67 |
| | 2017-18 | 15 | 10.17 | 408.82 | 2.49 |
| | 2018-19 | 16 | 25.63 | 531.54 | 4.82 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

* वे पीएसयू, जिन्होंने न लाभ अर्जित की और न हानि उठायी तथा जिन्होंने शुरुआत से प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया, को छोड़ दिया गया था

2018-19 के दौरान, 16 में से सात पीएसयू हानि उठाने वाली थी। चूँकि शुद्ध आय ऋणात्मक थी, हानि उठाने वाली पीएसयू के अंश-पूँजी पर प्रतिफल की गणना नहीं की गयी। हानि उठाने वाले पीएसयू के शेयरधारकों का कोष 2014-15 और 2015-16 के दौरान ऋणात्मक था। मार्च 2019 की समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान, शुद्ध

आय 2014-15 से 2018-19 तक धनात्मक थी तथा इन वर्षों के दौरान आरओइ 2.49 प्रतिशत से 8.67 प्रतिशत के बीच थी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.3.19 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है, जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है, जिसके साथ इसकी पूँजी नियोजित है। आरओसीई की गणना, कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व आय (इबीआईटी) को नियोजित पूँजी⁶⁹ से भाग देकर की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के आरओसीई का क्षेत्रवार विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.3.11: गैर ऊर्जा क्षेत्र के सभी पीएसयू का नियोजित पूँजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल (₹ करोड़ में)

| 1 | इबीआईटी | नियोजित पूँजी | आरओसीई (प्रतिशत में) |
|----------------------|---------|---------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4=2*100/3 |
| 2014-15 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 8.24 | 349.47 | 2.36 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 37.67 | 201.96 | 18.65 |
| अन्य | 8.87 | 30.67 | 28.92 |
| कुल | 54.78 | 582.10 | 9.41 |
| 2015-16 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 8.60 | 255.79 | 3.36 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 43.20 | 279.72 | 15.44 |
| अन्य | 6.86 | 35.41 | 19.37 |
| कुल | 50.06 | 315.13 | 15.89 |
| 2016-17 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 8.57 | 257.77 | 3.32 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 59.67 | 1199.39 | 4.97 |
| अन्य | 8.72 | 41.43 | 21.05 |
| कुल | 68.39 | 1240.82 | 5.51 |
| 2017-18 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 8.57 | 257.77 | 3.32 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 33.35 | 1880.23 | 1.77 |
| अन्य | 5.98 | 45.76 | 13.07 |
| कुल | 47.90 | 2183.76 | 2.19 |
| 2018-19 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 7.55 | 264.75 | 2.85 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 54.58 | 1939.137 | 2.81 |
| अन्य | 4.81 | 49.14 | 9.79 |
| कुल | 66.94 | 2253.027 | 2.97 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

⁶⁹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त कोष एवं अधिशेष + दीर्घकालीन ऋण - संचित हानियाँ - टाले गए राजस्व व्यय। जिन पीएसयू के लेखे अंतिमीकृत हैं, आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं।

आगे, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित एवं हानि उठाने वाले सभी कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का कुल आरओसीई का विवरण नीचे की तालिका में दी गयी है:

तालिका 1.3.12: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) से संबंधित का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)

| | वर्ष | पीएसयू की संख्या | ईबीआईटी | नियोजित पूँजी | आरओसीई (प्रतिशत में) |
|----------------------|---------|------------------|---------|---------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*100/4 |
| लाभ अर्जित करने वाली | 2014-15 | 8 | 71.87 | 473.37 | 15.18 |
| | 2015-16 | 8 | 70.03 | 559.28 | 12.52 |
| | 2016-17 | 10 | 81.45 | 1487.10 | 5.48 |
| | 2017-18 | 7 | 64.77 | 2005.79 | 3.23 |
| | 2018-19 | 9 | 78.50 | 2201.61 | 3.57 |
| हानि उठाने वाली | 2014-15 | 2 | -16.97 | 13.59 | - |
| | 2015-16 | 4 | -11.37 | 11.64 | - |
| | 2016-17 | 5 | -4.49 | 11.499 | - |
| | 2017-18 | 8 | -16.87 | 177.977 | - |
| | 2018-19 | 7 | -11.56 | 51.417 | - |
| कुल* | 2014-15 | 10 | 54.90 | 486.96 | 11.27 |
| | 2015-16 | 12 | 58.66 | 570.92 | 10.27 |
| | 2016-17 | 15 | 76.96 | 1498.599 | 5.14 |
| | 2017-18 | 15 | 47.90 | 2183.767 | 2.19 |
| | 2018-19 | 16 | 66.94 | 2253.027 | 2.97 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

* वे पीएसयू जिन्होंने न लाभ अर्जित की और न हानि उठायी तथा जिन्होंने शुरुआत से प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया, को छोड़ दिया गया था

2018-19 के दौरान, 16 में से 7 पीएसयू हानि उठाने वाले थे। चूँकि इन 7 पीएसयू से संबंधित ईबीआईटी ऋणात्मक था, हानि उठाने वाली पीएसयू का आरओसीई नहीं निकाला जा सका। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान पीएसयू का आरओसीई 2.19 प्रतिशत और 11.27 प्रतिशत के बीच रहा।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण

1.3.20 कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के भुगतान की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम, जिनमें 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान लिवरेज⁷⁰ था, के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

⁷⁰ लिवरेज का अर्थ ऋण की वह राशि है, जिसे कोई संस्था परिसंपत्तियों के वित्त-पोषण हेतु उपयोग करती है

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.3.21 विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात सामान्य था क्योंकि राज्य पीएसयू द्वारा 2014-15 से 2018-19 तक कोई दीर्घकालीन ऋण नहीं लिया गया, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.3.13: गैर-ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का ऋण-टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|----------|----------|---------|----------|----------|
| सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |
| टर्नओवर | 1,148.33 | 1,134.81 | 1,130.4 | 1,142.26 | 1,161.00 |
| ऋण-टर्नओवर अनुपात | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया जवाब

1.3.22 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि इसपर कार्यपालिका उचित एवं समयबद्ध जवाब प्रस्तुत करे। झा.स. के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को यह निर्देश दिया (नवंबर 2015) कि सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षा के उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, निर्धारित प्रारूप में, लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बगैर, विधायिका में इसके प्रस्तुतीकरण के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करें।

दिसंबर 2020 तक पाँच कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी पाँच विभागों में लंबित थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.3.23 31 दिसंबर 2020 तक राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) में शामिल हुईं, पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति निम्नवत हैं:

तालिका 1.3.14: 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल बनाम चर्चित निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/ कंडिकाएँ

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अवधि | नि.ले./ कंडिकाओं की संख्या | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल | | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | |
| | नि.ले. | कंडिकाएँ | नि.ले. | कंडिकाएँ |
| 2013-19 | 5 | 17 | 3 | 13 |

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में संधारित डाटाबेस)

लोक उपक्रम समिति को, पहली बैठक (अगस्त 2018) में ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा में हो रहे विलंब से अवगत कराया गया। 2018-19 के दौरान, प्रधान महालेखाकार के समन्वय एवं सहायता से कोपू, अपनी तीन बैठकों में, 2008-09 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित तीन कंडिकाओं पर चर्चा की।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

2013-14 के दौरान राज्य विधायिका में प्रस्तुत 4 कोपू प्रतिवेदनों के 8 अनुशंसाओं में से, राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) से कोई कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई थी।

कोपू के प्रतिवेदनों में, झा.स. के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; खान और भूविज्ञान; गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन तथा उद्योग विभागों से संबंधित कंडिकाओं पर अनुशंसाएं शामिल थीं, जो वर्ष 2006-07, 2009-10, 2010-11 तथा 2012-13 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए थे।

इस भाग की व्याप्ति

1.3.24 प्रतिवेदन के इस भाग में दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं तथा “झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

अध्याय-II: अनुपालन लेखापरीक्षा

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद व युवा मामले विभाग

2.1 झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

विशाल जैव-विविधता, मध्यम जलवायु, समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से समृद्ध झारखण्ड पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य महत्व के कई पर्यटन स्थल हैं।

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद व युवा मामले विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने 22 जिलों में अवस्थित 85 परिसंपत्तियों⁷¹ का निर्माण किया एवं संचालन और प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी) को हस्तांतरित (जून 2004 से अक्टूबर 2018 के बीच) किया। परिसंपत्तियों का स्वामित्व विभाग के पास है और जेटीडीसी परिसंपत्तियों को स्व-संचालित और आउटसोर्स प्रणाली के माध्यम से संचालित करता है।

कंपनी (जेटीडीसी) का प्रशासनिक नियंत्रण विभाग के अधीन है जिसके प्रमुख सचिव होते हैं। कंपनी का प्रबंधन झा.स. द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल (नि.म.) में निहित है। कंपनी के प्रबंध निदेशक (प्र.नि.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दो महाप्रबंधक तथा दो उप-महाप्रबंधकों के द्वारा सहायता प्राप्त हैं। स्व-प्रबंधित होटलों/ टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स (टी.सी.) का संचालन वरिष्ठ प्रबंधकों/ प्रबंधकों के नेतृत्व में किया जाता है।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान “जेटीडीसी द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन” की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गयी थी कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जेटीडीसी ने कितनी दक्षता और प्रभावी ढंग से परिसंपत्तियों का सदुपयोग व प्रबंधन किया है।

झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी) 2015, झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र और निर्देश, झारखण्ड वित्तीय नियमावली (झा.वि.नि), झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.), मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा जेटीडीसी के निदेशक मंडल के बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत थे।

⁷¹ होटल, टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स (टी.सी.), पर्यटक सूचना केंद्र (प.सू.के.), मार्गीय सुविधा केंद्र(मा.सू.के.), बहुदेशीय भवन (एम.पी.बी.)/शादी घर/संस्कार भवन, रज्जुमार्ग, चिल्ड्रेन प्ले जोन, प्रकाश और ध्वनि प्रणाली एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

अभिलेखों की जाँच तथा भौतिक सत्यापन हेतु आठ जिलों⁷² में अवस्थित 51 परिसंपत्तियों का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के द्वारा किया गया। हालाँकि, अभिलेखों की नमूना-जाँच व भौतिक सत्यापन सिर्फ 44 परिसंपत्तियों⁷³ का किया जा सका। 44 चयनित परिसंपत्तियों के अलावा, 26 अतिरिक्त परिसंपत्तियों के संचिका की जाँच जेटीडीसी मुख्यालय में की गयी।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श हेतु 04 सितंबर 2019 को विभाग के विशेष सचिव तथा प्रबंध निदेशक (प्र.नि.), जेटीडीसी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनांक 12 जनवरी 2021 को आयोजित निकास सम्मेलन में प्र.नि. (जेटीडीसी) सह पर्यटन निदेशक, झा.स. के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विमर्श किया गया था। विभाग/ कंपनी के जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 योजना

जून 2015 में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी) के अनुसार राज्य में पर्यटन के एकीकृत विकास और विपणन के लिए एक मास्टर प्लान (विशेष योजना) तैयार और कार्यान्वित करना, प्रत्येक जिले की पर्यटन संभावना का विस्तृत सर्वेक्षण करके ऐसी संभावना का उपयोग करना, पूर्व सैनिकों को शामिल करके एक राज्य पर्यटक अनुकूल सुरक्षा बल (टीएफएसएफ) बनाने की शुरुआत करना, पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना और आगंतुकों को गंतव्यों एवं रास्ते में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना था। यह पाया गया कि विभाग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य नहीं किया:

- एकीकृत विकास हेतु मास्टर प्लान बनाना एवं पर्यटन विकास हेतु व्यवहार्य क्षेत्रों की पहचान करना,
- स्थलों जहाँ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, के पर्यटन संभावना का आकलन के लिए कोई भी सर्वेक्षण किया जाना,
- पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना, और

⁷² देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, रामगढ़ एवं राँची

⁷³ कोविड 2019 के कारण लेखापरीक्षा के स्थगन के वजह से सात परिसंपत्तियों के अभिलेखों की जाँच और भौतिक निरीक्षण नहीं किया जा सका।

- झापनी के लागू होने के साढ़े-चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी टीएफएसएफ का गठन।

मास्टर प्लान तैयार करने, पर्यटन संभावना का सर्वेक्षण करने और पर्यटन इकाईयों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण दूरस्थ एवं अलाभकारी स्थानों पर हुआ, संपत्तियाँ असंचालित रहीं, अधिभोग कम रहा, परिसंपत्तियों के संचालन में डेवलपर्स की रुचि कम रही आदि। इन एवं अन्य मुद्दों की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है। आगे, झापनी लागू होने के बाद निर्मित एवं हस्तांतरित 22 परिसंपत्तियों में से, 19 परिसंपत्तियाँ मई 2020 तक असंचालित रहीं (परिशिष्ट-2.1.1)।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि राज्य के पर्यटन विकास के लिए पर्यटन नीति, रोड-मैप एवं भवदृष्टि पर काम किया जा रहा है तथा पाँच प्रमुख परियोजनाओं के लिए विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार किए गए थे। पुनः यह कहा गया कि एक मेगा निवेश परियोजना (पतरातू मेगा विकास डेस्टिनेशन) का सर्वेक्षण किया गया और अन्य परिसंपत्तियों को जिला प्रशासन, लोक प्रतिनिधियों के अनुशंसा और विभाग के निर्णय के आलोक में सृजित किये गये। विभाग ने यह भी कहा कि आवास इकाई का न्यूनतम मानक भारत सरकार के द्वारा पहले से निर्धारित है। हालाँकि, विभाग ने यह स्वीकार किया कि स्थलों, जहाँ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, के पर्यटन संभावना का आकलन के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया एवं पूर्व सैनिकों को शामिल करके टीएफएसएफ का गठन नहीं किया गया।

प्रतिवेदन में इंगित पर्यटन के समेकित विकास एवं विपणन हेतु मास्टर प्लान नहीं बनाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी। आगे, विभाग द्वारा संदर्भित भारत सरकार का निर्णय, आवासीय सुविधा को स्टार रेटिंग देने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक थे, न कि पर्यटन इकाई के लिए न्यूनतम मानक।

2.1.3 परिसंपत्तियों का संचालन और प्रबंधन

जेटीडीसी के अभिलेख के अनुसार, विभाग ने 85 परिसंपत्तियाँ (मार्च 2019 तक) जेटीडीसी को हस्तांतरित किया, जिनमें से 30 परिसंपत्तियाँ आउटसोर्स, 22 स्व-संचालित एवं एक परिसंपत्ति स्थानीय प्रशासन के द्वारा चलाये जा रहे थे जबकि 32 असंचालित थे। 85 परिसंपत्तियों में से 66 को 2009-10 से 2018-19 के दौरान हस्तांतरित किए गये।

आठ चयनित जिलों में अवस्थित 44 परिसंपत्तियों (19 आउटसोर्स, 12 स्व-संचालित, 12 असंचालित और 01 अन्य) से संबन्धित अभिलेखों का विभाग एवं जेटीडीसी में

नमूना-जाँच एवं इन परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के उपरांत निम्न उद्घाटित हुआ:

2.1.3.1 अपनी संपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के समय जारी विभाग के परिपत्रों के अनुसार, जेटीडीसी को हस्तांतरण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर परिसंपत्तियों पर नियंत्रण लेना था। इसके अलावा, इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर को अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयन योजना (प.का.यो.) के अनुसार परिसंपत्ति का विकास करना था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि यद्यपि 07 परिसंपत्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जेटीडीसी को संचालन व प्रबंधन के लिए हस्तांतरित (मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच) किया गया, पर जेटीडीसी इन परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखने में विफल रहा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(अ) टी.सी. मलूटी (दुमका) तथा टी.सी. बारीडीह (पूर्वी सिंहभूम)

इन परिसंपत्तियों को ₹ 1.11 करोड़ की लागत से निर्माण (2009 और 2010) कर अगस्त 2009 में जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया। हालाँकि, झारखण्ड सरकार ने जुलाई 2012 में इन परिसंपत्तियों को संबंधित जिलों के उपायुक्त को इनके संचालन के लिए हस्तांतरित किया। पुनः, अक्टूबर 2015 में, झारखण्ड सरकार ने इन परिसंपत्तियों को वापस जेटीडीसी को हस्तान्तरण की तिथि से एक सप्ताह के भीतर परिसंपत्तियों पर दखल के निर्देश के साथ हस्तांतरित किया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि यद्यपि, जेटीडीसी ने टी.सी. मलूटी (मार्च 2016) और टी.सी. बारीडीह (मार्च 2016 और दिसम्बर 2016) को आउटसोर्स करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की, इन परिसंपत्तियों को सफल बोलीकर्ता को आउटसोर्स नहीं किया जा सका, जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि टी.सी. मलूटी, एक समिति⁷⁴ के द्वारा 01 वर्ष के लिए उपायुक्त (डीसी) दुमका तथा समिति के सचिव के बीच इकरारनामा (जून 2015) के तहत चलाया जा रहा था। परिसंपत्ति को डी.सी., दुमका से वापस लेकर अक्टूबर 2015 में जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया। हालाँकि, समिति ने समझौते की अवधि (सितम्बर 2015) के बाद भी अनाधिकृत रूप से अपना संचालन जारी रखा। आगे, मलूटी (दुमका) को राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान होने के बावजूद 2015-16

74 स्वयंसेवी संगठन

से 2018-19 के दौरान आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण इस टी.सी. में केवल 1,659 पर्यटक ही रुके थे।

जेटीडीसी ने सूचित (अगस्त 2019) किया था कि टी.सी. बारीडीह निष्क्रिय पड़ा हुआ था। हालाँकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान यह पाया गया कि टी.सी. का उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा था।

इस प्रकार, जेटीडीसी की जानकारी के बिना परिसंपत्तियों का अनधिकृत संचालन, अपनी परिसंपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी को दर्शाता था। आगे, इन दो परिसंपत्तियों में झारखण्ड सरकार/जेटीडीसी का साइन बोर्ड/प्रतीक चिन्ह नहीं पाया गया।

विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि जेटीडीसी ने इन संपत्तियों पर कब्जा नहीं लिया था और संबंधित जिला प्रशासन को परिसंपत्तियों की अवस्था, स्थिति तथा वसूलित राजस्व को सूचित करने के लिए आग्रह किया गया था। जवाब सही नहीं है क्योंकि जेटीडीसी को हस्तान्तरण के एक सप्ताह के भीतर परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में ले लेना था और यह भी पाया गया कि जेटीडीसी द्वारा इन परिसंपत्तियों को आउटसोर्स करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं (मार्च 2016)।

(ब) एम.पी.बी पथरोल (देवघर) और छत्तरपुर (पलामू)

विभाग ने इन दो एमपीबी को ₹ 91.74 लाख की लागत से निर्माण (2015-16 के बीच) किया तथा इन्हें निर्माण कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही जेटीडीसी को हस्तांतरित (अक्टूबर 2015) कर दिया। यद्यपि, जेटीडीसी ने परिसंपत्तियों को आउटसोर्स करने के लिए दो बार निविदाएँ (मार्च 2016 और दिसम्बर 2016) आमंत्रित कीं परन्तु कोई डेवलपर चयनित नहीं हुए। जेटीडीसी के अभिलेखों के अनुसार, ये दोनों परिसंपत्तियाँ असंचालित थीं। हालाँकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) के दौरान पाया गया कि ये परिसंपत्तियाँ, जेटीडीसी/विभाग के सहमति के बिना ग्राम स्तरीय समिति के द्वारा संचालित की जा रही थीं। इन स्थानीय समितियों ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान विवाह-मंडप/कमरों को किराये पर लगाकर राजस्व अर्जित किये परन्तु सरकार/ जेटीडीसी के खातों में कोई राजस्व जमा नहीं किया गया। आगे इन परिसंपत्तियों में जेटीडीसी/सरकार का साइनबोर्ड/ लोगो (प्रतीक-चिन्ह) नहीं था जो इन संपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण के अभाव को इंगित करता है।

विभाग/ जेटीडीसी ने इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। हालाँकि, जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि ये परिसंपत्तियाँ दूरस्थ स्थानों पर स्थित हैं, जहाँ कभी-कभार पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जाती है तथा इन्हें कार्यशील बनाने के लिए विभाग से संपत्ति

को जिला पर्यटन प्रोत्साहन समिति (डीटीपीसी) को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

(स) चिल्ड्रेन प्ले जोन, सिदगोड़ा (जमशेदपुर)

चिल्ड्रेन प्ले जोन, सिदगोड़ा (जमशेदपुर) को जेटीडीसी को हस्तांतरित (अक्टूबर 2015) किया गया तथा निविदाएँ (मार्च 2016 और दिसंबर 2016) आमंत्रित की गई परन्तु परिसंपत्ति को आउटसोर्स नहीं किया जा सका। जेटीडीसी के अभिलेखों में परिसंपत्ति को असंचालित दर्शाया गया था। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान यह देखा गया कि परिसंपत्ति एक स्थानीय समिति द्वारा चलाया जा रहा था जो जेटीडीसी का अपनी संपत्ति पर नियंत्रण का अभाव इंगित करता है। परिसंपत्ति के आस-पास सरकार/जेटीडीसी के खाते में कोई राजस्व जमा नहीं किये गये जबकि टिकट बेचे जा रहे थे। सरकार/जेटीडीसी का साईन बोर्ड/ प्रतीक-चिन्ह नहीं था और शौचालय, पेय जल सुविधा उपलब्ध नहीं था। आगे, पार्क में कई बेंच भी क्षतिग्रस्त पाये गये।

विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि परिसंपत्ति जिला प्रशासन के प्रभार में है। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पता चला कि परिसंपत्ति जिसे जेटीडीसी के द्वारा अधिकार में लिया जाना था वो एक स्थानीय समिति द्वारा चलाई जा रही थी। आगे, जेटीडीसी परिसंपत्ति को असंचालित दिखा रहा था और संपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की थी।

(द) मार्गीय सुविधा केंद्र टाटीझरिया (हजारीबाग) तथा हाता चौक (पूर्वी सिंहभूम)

इन परिसंपत्तियों को जेटीडीसी को हस्तांतरित (मार्च 2015) किया गया तथा संचालन व प्रबंधन के लिए डेवलपर्स के साथ इकरारनामा (फरवरी 2016 और मार्च 2016) किया गया था। अभिलेखों की जाँच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि मार्गीय सुविधा केंद्र (मा.सु.के.) टाटीझरिया के डेवलपर ने करारित सुविधाओं को विकसित नहीं किया तथा जेटीडीसी के अनुमोदन के बिना मा.सु.के. का वाणिज्यीकरण किया एवं भवन के आगे दुकानों का निर्माण किया। परिसंपत्ति का उपयोग मुख्यतः विवाह, प्रशिक्षण और बैठक के प्रयोजनों में किया जा रहा था। कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मार्च 2018 के बावजूद, मा.सु.के. हाता चौक (पूर्वी सिंहभूम) में कमरों का सुसज्जिकरण एवं अन्य विकास कार्यों को पूरा नहीं किया गया (जनवरी 2020 तक)। इसके परिणामस्वरूप, इस परिसंपत्ति में पर्यटकों का ठहराव शून्य था और सिर्फ एक रेस्तरां चल रहा था।

आगे, इकरारनामा में शर्त के अभाव में विलंबित विकास के लिए जेटीडीसी, किसी भी क्षति प्रतिपूर्ति की वसूली नहीं कर सका। जेटीडीसी/सरकार का कोई प्रतीक

चिन्ह/साईनबोर्ड भी नहीं पाया गया। इस प्रकार, इन परिसंपत्तियों पर जेटीडीसी द्वारा नियंत्रण और अनुश्रवण के अभाव में पर्यटकों को पारगमन सुविधाएं प्रदान करने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि डेवलपर ने मा.सु.कें. टाटीझरिया में निवेश से कुछ प्रतिफल प्राप्त करने हेतु पर्याप्त सुविधाएं विकसित करने से पहले ही वाणिज्यिक क्रियाकलाप शुरू कर दिया। जेटीडीसी ने आगे कहा कि संपत्ति दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था जहाँ पर्यटकों का आगमन बहुत कम था। अस्थायी दुकानों को भी हटा दिया गया था। जेटीडीसी ने यह भी कहा कि प्रत्येक डेवलपर के द्वारा जेटीडीसी का प्रतीक चिन्ह लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

विभाग/जेटीडीसी का जवाब संतोषजनक/सही नहीं है क्योंकि मा.सु.कें. टाटीझरिया प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। परिसंपत्तियों के विकास के बिना वाणिज्यिक संचालन इकरारनामा का उल्लंघन था जो परिसंपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी को इंगित करता है। मा.सु.के., हाता चौक के संबंध में विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.3.2 असंचालित परिसंपत्तियाँ

यह पाया गया कि 39 परिसंपत्तियों का निर्माण ₹ 39.62 करोड़ की लागत से किया गया तथा जेटीडीसी को हस्तांतरित (2004 और 2018 के बीच) किया गया जो मई 2020 तक असंचालित या आंशिक रूप से संचालित रहा। 37 असंचालित तथा दो आंशिक रूप से संचालित संपत्तियों को **परिशिष्ट 2.1.2** में दिखाया गया है। इन परिसंपत्तियों में से पाँच पर उदाहरणात्मक विषय-अध्ययन नीचे दिये गए हैं।

(क) मा.सु.कें. तमाड़ राँची

परिसंपत्ति को उन्नयन, संचालन, रखरखाव तथा प्रबंधन हेतु सफल बोलीकर्ता को आउटसोर्स (जुलाई 2015) किया गया, किन्तु डेवलपर ने बिजली तथा पानी की सुविधा के अभाव के कारण इसे विकसित करने से इन्कार (जुलाई 2015) कर दिया। इकरारनामा रद्द (अगस्त 2017) करने के उपरांत जेटीडीसी ने पुनः संपत्ति का निविदा (दिसंबर 2018) निकाला और बिना विद्युत् कनेक्शन के डेवलपर⁷⁵ के साथ इकरारनामा (जुलाई 2019) किया, जिसे डेवलपर के द्वारा भी सूचित किया (जुलाई 2019) गया। ये भी देखा गया कि जेटीडीसी विद्युत् कनेक्शन प्रदान करने के लिए कदम उठाने के बजाय, डेवलपर को पी.आई.पी. प्रस्तुत करने कह रहा था। संयुक्त भौतिक सत्यापन

⁷⁵ माँ देवड़ी रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

(जनवरी 2020) के दौरान यह पाया गया कि भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था, विद्युत्/पानी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, मुख्य द्वार टूटा हुआ था, पीछे की तरफ कोई चहारदीवारी नहीं था तथा संपत्ति पर कहीं भी सरकार/जेटीडीसी का साईन-बोर्ड/ प्रतीक चिन्ह नहीं थे।



इस प्रकार यह संपत्ति जेटीडीसी को हस्तांतरित होने के आठ वर्ष बाद भी असंचालित रहा और इसके निर्माण में ₹ 36.94 लाख का व्यय निरर्थक हो गया।

विभाग/जेटीडीसी ने स्वीकार (जून 2020) किया कि संपत्ति को संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि लाइसेंसधारक ने पी.आई.पी. प्रस्तुत नहीं किया। हालाँकि, विद्युत् तथा जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया।

(ख) बहुदेशीय भवन पुनासी, देवघर

इस भवन का निर्माण पुनासी डैम में आए हुए आगंतुकों को आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में निर्माण स्थान पुनासी डैम के नजदीक चिन्हित था परंतु स्थानीय विरोध के कारण, एम.पी.बी.का निर्माण (अक्टूबर 2018) ₹ 1.90 करोड़ की लागत से अन्य स्थल पर किया गया तथा आउटसोर्स के माध्यम से संचालन व प्रबंधन हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया।

अभिलेखों के जाँच से पता चला कि जेटीडीसी ने इसके हस्तांतरण के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की और परिसंपत्ति मई 2020 तक अनुपयोगी रहा। संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2019) के दौरान यह पाया गया कि एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था जहाँ से डैम देखा नहीं जा सकता था, डैम तक पहुँचने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा भवन एवं उसके निकट के क्षेत्र में विद्युत् उपलब्ध नहीं था। डैम को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में भी अधिसूचित नहीं किया गया था। आगे पुनासी डैम के नजदीक एम.पी.बी. के संबंध में कोई भी विज्ञापन नहीं लगा था।



चित्र 2.2: पुनासी बहुउद्देशीय भवन

विभाग/जेटीडीसी ने तथ्य को स्वीकार किया (जून 2020) और कहा कि संपत्ति में बहुत संभावनाएं हैं और इसे बहुत जल्द आउटसोर्स किया जाएगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि ₹ 1.90 करोड़ की लागत से निर्मित यह संपत्ति अक्टूबर 2018 में हस्तांतरण के उपरांत असंचालित रहा।

(ग) बहुदेशीय भवन बुधई, देवघर

एम.पी.बी. बुधई, देवघर जेटीडीसी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालन व प्रबंधन हेतु हस्तांतरित (अक्टूबर 2015) किया गया था। यद्यपि, जेटीडीसी ने परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने हेतु निविदा (मार्च 2016 और दिसंबर 2016) आमंत्रित की, परंतु इसे अंतिमीकरण नहीं किया जा सका जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। पुनः कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई और परिसंपत्ति असंचालित रहा।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन के दीवारों में दरारें थी, खिड़कियों के पैनल टूटे हुए थे तथा एम.पी.बी. के बाहर शौचालय/हैण्डपंप अक्रियाशील था। आगे, जेटीडीसी के द्वारा परिसंपत्ति की सुरक्षा हेतु किसी पहरेदार/केयरटेकर की तैनाती नहीं की गई थी।



चित्र 2.3: बुधई, बहुदेशीय भवन, देवघर

यह भी पाया गया कि एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर बुधई मंदिर के बगल में था, जो राज्य सरकार द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं था। इस प्रकार ₹ 51.76 लाख की लागत से निर्मित संपत्ति अक्टूबर 2015 से असंचालित रहा। जेटीडीसी ने इस तथ्य को स्वीकार (जून 2020) किया और कहा कि विभाग को यह

संपत्ति डी.टी.पी.सी. को हस्तांतरण कर क्रियाशील बनाने के लिए अनुरोध किया गया था।

(घ) प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शनी, शिल्पग्राम, देवघर

विभाग के द्वारा इस परिसंपत्ति का निर्माण ₹ 3.05 करोड़ की लागत से किया गया (जनवरी 2015) तथा परिचालन व प्रबंधन हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित (जनवरी 2015) किया गया। विभाग ने जेटीडीसी को उस प्रणाली का परिचालन प्रथम तीन माह आई.टी.डी.सी. के द्वारा कराने का निर्देश (जनवरी 2015) दिया। यद्यपि, आई.टी.डी.सी. ने जेटीडीसी को इसका परिचालन प्रशिक्षित कर्मियों को लगाकर तथा वार्षिक रख-रखाव इकरारनामा (एएमसी) के द्वारा करने का सलाह दिया किन्तु यह पाया गया कि जेटीडीसी ने उनके सुझावों का पालन किये बिना प्रणाली का परिचालन (फरवरी 2015) किया। खराबी के कारण प्रणाली दो बार (फरवरी 2016 और जून 2016) बंद हो गई जिसे आई.टी.डी.सी. के द्वारा क्रियाशील बनाया गया। वज्रपात के कारण प्रणाली पुनः बंद (जुलाई 2016) हो गया तथा तब से यह निष्क्रिय रहा।

इस प्रकार, प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करने में जेटीडीसी की विफलता एवं एएमसी के अभाव के कारण प्रणाली सुचारु रूप से संचालित नहीं हो सकी जिसके फलस्वरूप ₹ 3.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।



चित्र 2.4: देवघर में प्रकाश और ध्वनि प्रणाली की स्थिति

विभाग/जेटीडीसी ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (जून 2020) कि प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शनी को खराबियों के सुधार के बाद चालू किया जाएगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि यह सुविधा विगत चार वर्षों से बेकार पड़ा है।

(ङ) पर्यटक स्थल, कांके डैम, राँची

परिसंपत्ति को आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालन व प्रबंधन हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित (मार्च 2012) किया गया। हालाँकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (30 दिसंबर 2019) के दौरान यह पाया गया कि परिसंपत्ति जेटीडीसी के द्वारा चलाया जा रहा था और आंशिक रूप से परिचालित (केवल पार्क) था। रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट एवं म्यूजिकल फाउण्टेन अक्रियाशील थे तथा रेस्टोरेंट और फूड-कोर्ट जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे।



चित्र 2.5: पर्यटक स्थल, कांके डैम, राँची में अवस्थित रेस्टोरेंट एवं फूड कोर्ट की स्थिति

विभाग ने कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। हालाँकि, जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स (मार्च 2020) कर दिया गया है एवं उन्नयन के उपरांत इसका संचालन किया जाएगा।

2.1.3.3 राज्य के पर्यटक आँकड़ा का अविश्वसनीय प्रक्षेपण

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को "भारत पर्यटन सांख्यिकी" में प्रकाशन के लिए राज्य के घरेलू और विदेशी पर्यटकों के वार्षिक आँकड़ों की आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिए पर्यटक आँकड़े को संकलन के उपरांत भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए पर्यटन निदेशक, झारखण्ड सरकार द्वारा जिला अधिकारी, जेटीडीसी एवं झारखण्ड में अवस्थित होटलों से पर्यटक आँकड़ा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

जाँच में पाया गया कि पर्यटन निदेशक, झारखण्ड सरकार ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य में ₹ 13.63 करोड़ (2015-2018 के दौरान) पर्यटकों की सूचना प्रतिवेदित की। लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार को प्रेषित आँकड़ा किसी भी उपलब्ध दस्तावेज पर आधारित नहीं था। लेखापरीक्षा ने 2015 से 2018 के दौरान, जेटीडीसी/ जिला अधिकारी/ होटलों/ टूर एवं ट्रेवल्स से पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार को प्राप्त पर्यटक आँकड़ों को संकलित किया और पाया कि 2015 से 2018 के दौरान केवल 3.09 करोड़ पर्यटक राज्य में आए थे।

इस प्रकार, अविश्वसनीय एवं गलत पर्यटक आँकड़ा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जवाब में विभाग ने कहा (जनवरी 2021) कि निजी होटलों/टूर ऑपरेटर द्वारा पर्यटक आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण कुछ निजी होटलों/टूर ऑपरेटरों से दूरभाष वार्ता के आधार पर पर्यटक आँकड़ा संकलित किया गया, साथ ही सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

2.1.3.4 जेटीडीसी के होटलों/टी.सी में शैया-अधिभोग

विभाग/ जेटीडीसी ने वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान अपने होटलों/टी.सी. में शैया-अधिभोग के संबंध में सूचना प्रदान नहीं किया। लेखापरीक्षा के द्वारा 19 में से

11 भौतिक सत्यापित होटलों/टी.सी. से प्राप्त सूचना नीचे तालिका 2.1 में दर्शायी गई है:

तालिका 2.1: शैया-अधिभोग का विवरण

| वर्ष | स्व-संचालित (चार होटल) | | | आउटसोर्स (सात होटल/टी.सी) | | |
|---------|------------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| | कुल उपलब्ध शैया | अधिभुक्त शैया | अधिभोग (प्रतिशत) | कुल उपलब्ध शैया | अधिभुक्त शैया | अधिभोग (प्रतिशत) |
| 2015-16 | 83,082 | 17,311 | 20.84 | 20,496 | 7,405 | 36.13 |
| 2016-17 | 82,855 | 19,289 | 23.28 | 36,865 | 8,935 | 24.24 |
| 2017-18 | 82,855 | 26,367 | 31.82 | 52,705 | 18,976 | 36.00 |
| 2018-19 | 82,855 | 26,976 | 32.56 | 75,267 | 25,617 | 34.03 |

11 होटलों/टी.सी. के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि :

- 2015-16 से 2018-19 के दौरान चार स्व-संचालित होटलों में शैया-अधिभोग 20.84 प्रतिशत से 32.56 प्रतिशत के बीच था जबकि सात आउटसोर्स होटलों/टी.सी में 24.24 और 36.13 प्रतिशत के बीच था।
- स्व-संचालित होटल बासुकी विहार, बासुकीनाथ, दुमका जो कि एक बेहतर स्थान पर अवस्थित है का शैया-अधिभोग (16.04 से 21.71 प्रतिशत) आउटसोर्स टी.सी. बासुकीनाथ, दुमका के शैया-अधिभोग (71.35 से 90.15 प्रतिशत) की तुलना में कम था।
- 2017-18 से 2018-19 के दौरान स्व-संचालित होटल वन विहार बेटला का शैया-अधिभोग (23 प्रतिशत) उसके समीप अवस्थित आउटसोर्स जंगल हाट-सह-टुरिस्ट प्लाज़ा-सह-यूथ हॉस्टल का शैया-अधिभोग (6 से 9 प्रतिशत) की तुलना में बेहतर था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आउटसोर्स परिसंपत्ति में उचित सुविधाओं की कमी थी।
- होटल साकची विहार, जमशेदपुर का शैया-अधिभोग उचित रख-रखाव एवं अच्छी जगह पर अवस्थित होने के बावजूद बहुत कम (2.30 से 17.19 प्रतिशत) था।

इस प्रकार, राज्य में पर्याप्त पर्यटकों के आवक के बावजूद होटलों में शैया-अधिभोग उत्साहजनक नहीं था।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि अधिकांश परिसंपत्ति नक्सल प्रभावित /वन क्षेत्र में अवस्थित हैं या वैसे क्षेत्र में हैं जहाँ अंतर्राज्यीय पर्यटक का आगमन बहुत कम है। जेटीडीसी ने पुनः कहा कि होटल नटराज विहार, बैद्यनाथ विहार, बासुकी विहार और टी. सी. बासुकीनाथ ऐसे जगह में अवस्थित हैं जहाँ समयानुकूल पर्यटक आगमन होते हैं और वहाँ पीक सीजन के दौरान अधिभोग लगभग 80 प्रतिशत था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित 11 परिसंपत्तियों में से सिर्फ दो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित थे। दूसरा, आउटसोर्स संपत्ति का अधिभोग उसी जगह में स्थित स्व-संचालित संपत्ति से बेहतर था। विभाग के जवाब से यह प्रतीत होता है कि परिसंपत्तियों के निर्माण से पूर्व स्थानों के चयन के लिए कोई भी पूर्वविचार नहीं किया गया था। जेटीडीसी द्वारा पीक सीजन में 80 प्रतिशत अधिभोग का दावा सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि 80 प्रतिशत या उससे अधिक अधिभोग केवल एक महीने में एक होटल में था।

2.1.3.5 आधारभूत तथा आधुनिक सुविधाओं की अनुपस्थिति

लेखापरीक्षा ने 44 परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि चार स्व-संचालित होटलों में से दो होटलों के कमरों/कॉरीडोर में जल रिसाव व सीलन था और दीवारों में दरारें भी थी। चार होटलों में से किसी भी होटल में वाई-फाई, सी.सी.टी.वी. तथा इंटरकॉम नहीं थे। एक होटल (बैद्यनाथ विहार) में सुरक्षित पेयजल, गीजर और टेलीविजन की सुविधा नहीं थी। दो होटलों (बैद्यनाथ विहार एवं नटराज विहार) में ई-पेमेंट सुविधा क्रियाशील नहीं थी, दो होटलों (बैद्यनाथ विहार और बासुकी विहार) में रेस्तरां नहीं थे और दो होटलों (बैद्यनाथ विहार और वन विहार) में अग्निशामक यंत्र नहीं थे। शेष 40 परिसंपत्तियों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कमरों में रिसाव तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी।



चित्र 2.6: होटल बैद्यनाथ विहार, देवघर



चित्र 2.7: मा.सु.के. त्रिकुट, देवघर के दीवारों में रिसाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि होटल बासुकी विहार, बासुकीनाथ (दुमका) तथा नटराज विहार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देवघर में अतिक्रमण था।



चित्र 2.8: अतिक्रमण (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देवघर के दुकानों के बरामदे एवं होटल बासुकी विहार, बासुकीनाथ की चहारदीवारी)

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जनवरी 2021) कि स्व-संचालित परिसंपत्तियों के आधारभूत सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। विभाग/ जेटीडीसी अतिक्रमण एवं अन्य परिसंपत्तियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.1.3.6 अन्य रोचक मुद्दे

अभिलेखों की संवीक्षा एवं परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से निम्नलिखित अनियमितताएं उदघटित हुए:

(क) अनुचित/ अनियमित व्यय

पर्यटक परिसर (प.प.) मसानजोर (दुमका) के जेटीडीसी को हस्तान्तरण से संबंधित परिपत्र (मार्च 2015) के अनुसार परिसंपत्तियों का संचालन आउटसोर्सिंग/ पी.पी.पी प्रणाली द्वारा किया जाना था एवं इसके संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जाना था।

यह पाया गया कि विभाग द्वारा ₹ 3.73 करोड़ की लागत से परिसंपत्ति का निर्माण किया गया (2017) और संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया। जेटीडीसी को परिसंपत्ति हस्तान्तरण के बाद उपायुक्त दुमका के अनुरोध पर (सितम्बर 2017) विभाग द्वारा ₹ 3.32 करोड़ के प्राक्कलन के विरुद्ध सजावटी एवं विकास पर ₹ 3.05 करोड़ व्यय दिया गया जबकि अन्य मामलों में समान अनुरोध को विभाग द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि सजावटी कार्य चुने गये डेवलपर द्वारा किया जायेगा।

आगे, ₹ 10 लाख के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध ₹ 12.33 लाख के वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर डेवलपर के साथ इकरारनामा किया गया (जनवरी 2019)।

इस प्रकार, सजावटी एवं विकास कार्य डेवलपर के बदले विभाग द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.05 करोड़ का अनुचित/अनियमित व्यय हुआ।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2020) और बताया कि निविदा से पूर्व परिसंपत्ति का तेजी से संचालन हेतु सजावटी कार्य किया गया और सजावटी लागत आरक्षित मूल्य निर्धारण में सम्मिलित था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अन्य मामलों में सजावटी कार्य हेतु राशि का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि परिसंपत्तियों को आउटसोर्स किया जाना है और विकास कार्य डेवलपर के द्वारा किया जायेगा। आगे, यह एकमात्र मामला है, जहाँ सजावटी कार्य कराया गया था। कुल ₹ 6.37 करोड़ की बड़ी निवेश के परिप्रेक्ष्य में ₹ 10 लाख का आरक्षित मूल्य निर्धारण उचित नहीं था और आरक्षित मूल्य के निर्धारण में सजावटी/ विकास कार्य के लागत को शामिल करने संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

(ख) निर्दिष्ट स्थान से दूर मा.सु.कें. का निर्माण

झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी) के अनुसार पर्यटकों को पारगमन निवास सुविधा हेतु मा.सु.कें. का निर्माण राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच)/ राजकीय उच्च पथ (एसएच) के बगल में किया जाना था। तथापि, मा.सु.कें. त्रिकुट देवघर का निर्माण (2014) ₹ 1.06 करोड़ की लागत से देवघर-बासुकीनाथ एनएच से दो किलोमीटर की दूरी पर किया गया था। परिसंपत्ति जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया (मार्च 2015) और यह स्व-प्रबंधित प्रणाली से संचालित हो रहा था। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान ₹ 11.55 लाख व्यय के विरुद्ध ₹ 10.46 लाख की प्राप्ति हुई। परिसंपत्ति की स्थिति दयनीय थी और संयुक्त भौतिक सत्यापन में, भवन में दरारें एवं रिसाव पायी गयीं। इसके अलावा, 2015-16 से 2018-19 के दौरान 14,600 बिस्तर क्षमता के विरुद्ध अधिभोग दर केवल 12.18 प्रतिशत था।

इस प्रकार, एनएच से दूर मा.सु.कें. के निर्माण किये जाने के कारण ₹ 1.06 करोड़ व्यय के बावजूद पर्यटकों को पारगमन निवास सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

विभाग/जेटीडीसी ने बताया (जून 2020) कि एनएच के नजदीक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परिसंपत्ति का स्थान परिवर्तित हो गया।

(ग) अवास्तविक आरक्षित मूल्य का निर्धारण

बेतला (लातेहार) में दो परिसंपत्तियों, जंगल हट एंव पर्यटक प्लाजा (क्षेत्रफल 2.13 एकड़ निर्मित क्षेत्रफल- 9032 वर्गफीट) और यूथ होस्टल (0.85 एकड़ निर्मित क्षेत्रफल- 3758 वर्गफीट) के लिये जेटीडीसी द्वारा मात्र ₹ एक लाख वार्षिक लाइसेंस शुल्क

निर्धारित (जुलाई 2014) किया गया जबकि पूर्व में ₹ 2.40 लाख वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर निविदादाता सफल हुये थे (अप्रैल 2012)। आगे, परिसंपत्ति का आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए कोई मापदंड अथवा तंत्र अभिलेखों में नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि यह परिसंपत्ति होटल वन विहार के बगल में था (जेटीडीसी का स्व-प्रबंधित होटल) जिसका शुद्ध लाभ वर्ष 2013-14 में ₹ 6.32 लाख था। आगे, उस क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति की संभावना अच्छी थी क्योंकि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान वन विहार होटल का औसत शुद्ध लाभ ₹ 24.57 लाख तक बढ़ गया था। इस प्रकार, जेटीडीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य का, न तो पूर्व के लाइसेंस शुल्क के साथ तालमेल था न ही समान अवस्थित परिसंपत्ति के शुद्ध लाभ के।

विभाग/जेटीडीसी ने बताया (जून 2020) कि होटल वन विहार, बेतला पर निगम या विभाग द्वारा अवसंरचना एवं सजावटी कार्य पर लगातार निवेश किया जा रहा है जिसे इसकी वार्षिक आय से घटाया नहीं गया। इस प्रकार, एक होटल के आय को बिना निवेश को ध्यान में रखे अलग से नहीं देखा जा सकता है।

जेटीडीसी का जवाब विश्वसनीय नहीं है क्योंकि जेटीडीसी विभाग द्वारा किये गये निवेश का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे, होटल का वार्षिक शुद्ध लाभ ₹ 24.57 लाख था। इसलिए, एकदम बगल के परिसंपत्ति को मात्र रु एक लाख के वार्षिक शुल्क पर आउटसोर्स करना न्यायोचित नहीं था।

(घ) उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होना

झापनी के अनुसार, पर्यटकों को सूचना देने के अलावा पर्यटक सूचना केन्द्र (प.सू.कें.), जेटीडीसी के होटल एवं परिवहन सेवा तथा झारखण्ड में स्थित निजी वर्गीकृत होटलों में आरक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे। संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि प.सू.कें. के द्वारा ये सुविधा प्रदान नहीं की गई और ये अन्य गतिविधियों में संकलित थे जिसकी चर्चा निम्न है:

- **प.सू.कें. डाल्टनगंज** : इस परिसंपत्ति का निर्माण ₹ 50 लाख की लागत से हुआ (2016) और निर्माण के पूर्व ही जेटीडीसी को हस्तांतरित (मार्च 2015) किया गया। जेटीडीसी ने ₹ 1.11 लाख की वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर परिसंपत्ति को आउटसोर्स किया। अभिलेखों की संवीक्षा और संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) में उद्घटित हुआ कि प.सू.कें. में न तो सूचना न ही होटल आरक्षण प्रदान किया। झारखण्ड पर्यटन से संबंधित कोई विवरणिका/ पम्पलेट प.सू.कें. में नहीं पाया गया। परिसंपत्ति का

उपयोग शादी, बैठक इत्यादि के लिए किया जा रहा था। आगे, जेटीडीसी/सरकार का कोई लोगो/ साइनबोर्ड नहीं पाया गया।

विभाग/ जेटीडीसी ने बताया (जून 2020) कि पर्यटकों को सूचना प्रदान करने के साथ-साथ ठहरने एवं पार्टी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डेवलपर स्वतंत्र है। हालाँकि, जवाब प.सू.कें. की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे क्योंकि इसके द्वारा पर्यटकों को सूचना प्रदान नहीं की जा रही थी। विभाग ने आश्वस्त किया (जनवरी 2021) कि डेवलपर के साथ हुए इकरारनामा को लागू करने के लिए कार्रवाई की जायेगी।

- **प.सू.कें. हजारीबाग:** इकरारनामा के अनुसार डेवलपर को कार्यारम्भ के पूर्व जेटीडीसी से आवश्यक अनुमोदन एवं सक्षम पदाधिकारी से अन्य सुविधाओं हेतु अनुमति प्राप्त करना था। तथापि, डेवलपर ने जेटीडीसी के अनुमोदन और जिला प्रशासन के अनुमति के बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य को रोक दिया गया (मार्च 2015)। आगे, प.सू.कें. को अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा असामाजिक गतिविधियों के संचालन के आधार पर बंद (सितम्बर 2018) कर दिया गया। हालाँकि, यह पाया गया कि जेटीडीसी ने लाइसेंस शुल्क के भुगतान नहीं करने के आधार पर इकरारनामा को निरस्त कर दिया (नवम्बर 2018)। आगे, संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखा गया कि परिसंपत्ति असंचालित है एवं आधारभूत सुविधाओं की कमी के साथ-साथ रख-रखाव दयनीय है।

जेटीडीसी ने बताया (जनवरी 2021) कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए इकरारनामा किया गया है (नवम्बर 2020) और परिसंपत्ति को विकसित करने के लिए हस्तान्तरण कर दिया गया है (दिसम्बर 2020)। तथ्य वही है कि परिसंपत्ति जनवरी 2021 तक असंचालित थे।

(ड) परिसंपत्तियों का बीमा करने में विफलता

इकरारनामा के अनुसार 30 में से 23 परिसंपत्तियों की बीमा की जानी थी। हालाँकि, यह पाया गया कि 23 में से किसी भी डेवलपर ने, परिसंपत्ति का बीमा नहीं करवाया जो किसी अनहोनी घटना की वजह से जेटीडीसी पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता था।

विभाग/जेटीडीसी तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2020) कि भविष्य में परिसंपत्तियों को बीमित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(च) निष्पादन प्रतिभूति को नहीं बढ़ाना

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर द्वारा पूरे इकरारनामा अवधि में भुगतये लाइसेंस शुल्क के बराबर बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा किया जाना था। अभिलेखों की

संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा करने संबंधी प्रावधान 30 आउटसोर्स परिसंपत्ति में से 21 के इकरारनामा में शामिल नहीं थे। केवल एक डेवलपर (प.सू.के. डाल्टेनगंज) ने इकरारनामा का पालन किया और पाँच परिसंपत्तियों के डेवलपरों ने बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं की। इस प्रकार, इकरारनामा के विखंडन की स्थिति में बकाया लाइसेंस शुल्क वसूलने हेतु निष्पादन प्रतिभूति काफी नहीं होगा।

विभाग/जेटीडीसी ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2020) कि डेवलपर द्वारा बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा करना सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में कार्रवाई की जायेगी।

(ख) पर्यावरणीय एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों का अनुपालन नहीं होना

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर को रेनवाटर हार्वेस्टिंग, उर्जा संरक्षण और बेहतरीन कार्य प्रणाली सहित लागू पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों/प्रावधानों का पालन करना था। यह पाया गया कि 19 भौतिक सत्यापित आउटसोर्स परिसंपत्तियों में से, केवल 16 परिसंपत्तियों के इकरारनामाओं में पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मुद्दों को सम्मिलित किया गया था। 16 परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में उद्घाटित हुआ कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग और अग्निशमन प्रणाली क्रमशः एक और पाँच परिसंपत्तियों में अधिष्ठापित थे, जबकि सीसीटीवी दो परिसंपत्तियों में अधिष्ठापित नहीं थे। विभाग/जेटीडीसी ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2020) कि भविष्य में डेवलपर द्वारा इकरारनामा को पालन करने को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जायेगी।

2.1.4 वित्तीय प्रबंधन

कंपनी के अधीन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व झारखण्ड सरकार में निहित है और उनके संचालन से अर्जित आय को कंपनी का आय माना जाता है। कंपनी ने वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक के अपने वार्षिक लेखाओं का अंतिमीकरण अब तक नहीं किया है। अनुमोदित लेखाओं के अभाव में लेखापरीक्षा अवलोकन, अनंतिम लेखाओं पर आधारित है।

2.1.4.1 कार्य परिणाम

कंपनी अपनी दैनिक गतिविधियों को अपने आन्तरिक स्रोतों जैसे होटलों, रेस्टुरेंट एवं आउटसोर्स संपत्तियों का पट्टा-किराया इत्यादि से अर्जित आय से पूरा करती है। जेटीडीसी द्वारा 2015-16 से 2018-19 के दौरान प्राप्त राजस्व एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका-2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2: कार्यकारी परिणाम (प्रोविजनल)

(₹ लाख में)

| ब्यौरा | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| रूम रेंट से राजस्व | 125.93 | 165.00 | 244.11 | 325.16 |
| पट्टा से राजस्व | 202.42 | 209.79 | 297.28 | 259.64 |
| रेस्टुरेंट से राजस्व | 66.07 | 69.32 | 114.76 | 120.69 |
| प्रवेश / पार्किंग शुल्क से राजस्व | 23.42 | 35.56 | 38.00 | 41.37 |
| परिवहन प्रभाग से राजस्व | 11.71 | 9.28 | 6.35 | 3.89 |
| अन्य विविध आय | 44.10 | 37.87 | 45.85 | 26.90 |
| कुल | 473.65 | 526.82 | 746.35 | 777.65 |
| कुल व्यय | 376.24 | 343.82 | 401.57 | 403.21 |
| सकल लाभ | 97.41 | 183.00 | 344.78 | 374.44 |
| कराधान के लिए प्रावधान | 30.10 | 42.50 | 103.44 | 93.61 |
| शुद्ध आय | 67.31 | 140.50 | 241.34 | 280.83 |

(स्रोत: जेटीडीसी)

2.1.4.2 ₹ 55.45 लाख का कमरे का बकाया किराया एवं कर

चार स्व-प्रबंधित होटलों में, कमरे का किराया और कर की राशि ₹ 55.45 लाख, 12 महीने से 6 वर्ष के अंतराल के बाद भी मार्च 2020 तक बकाया रहा। इसके अलावा, एक होटल के बकाये को छोड़कर, जेटीडीसी ने बकाया राशि की वसूली का प्रयास नहीं किया।

विभाग/ जेटीडीसी ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2020) कि प्रबंधन मामले को आगे बढ़ा रहा है और बकाए की वसूली की जाएगी। हालाँकि, तथ्य यह है कि जनवरी 2021 तक बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी।

2.1.4.3 ₹ 182.98 लाख का बकाया लाइसेंस शुल्क/ किराया

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर्स/ पट्टेदारों को आउटसोर्स की गई संपत्तियों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क/ लागू कर सहित दुकान का मासिक किराया, अग्रिम में, जेटीडीसी को भुगतान करना था। भुगतान में देरी होने पर जुर्माना और निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर, जेटीडीसी इकरारनामा को निरस्त करने और निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को जब्त करने का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेटीडीसी, होटल बिरसा विहार राँची और टी.आई.सी. हजारीबाग के डेवलपर्स से इकरारनामा के अनुसार लागू कर सहित लाइसेंस शुल्क एवं जुर्माना की वसूली करने में विफल रहा। जेटीडीसी ने इकरारनामा को समाप्त कर कुल बकाया ₹ 230.15 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 49.14 लाख पीबीजी को जब्त करके वसूल की। आगे, 21 दुकानों के पट्टेदारों से अप्रैल 2018 से नवंबर 2019 तक का, ₹ 1.97 लाख

का बकाया भी वसूल नहीं किया गया। इस प्रकार, ₹ 182.98 लाख का लाइसेंस शुल्क/दुकान किराया अवसूलित रहा।

जेटीडीसी ने कहा कि दोषी पट्टेदारों से दुकानों के किराए की वसूली की प्रक्रिया जारी है। हालाँकि, तथ्य यह है कि जनवरी 2021 तक लाइसेंस शुल्क/ किराया अवसूलित था।

2.1.4.4 ₹ 82.47 लाख के शुद्ध आय का हिस्सा हस्तांतरित करने में विफलता

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के परिपत्रों के अनुसार, जेटीडीसी को 30 आउटसोर्स संपत्तियों में से 19 से शुद्ध कमाई का हिस्सा सरकार के खाते में जमा करना था। यह देखा गया कि जेटीडीसी ने कभी भी आउटसोर्स की गई संपत्ति से कमाई का आवश्यक हिस्सा सरकार के खाते में जमा नहीं किया।

लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार मार्च 2014 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए 19 आउटसोर्स परिसंपत्तियों का ₹ 82.47 लाख की सरकारी अंश की राशि की जमा नहीं होने के परिणामस्वरूप जेटीडीसी पर ₹ 82.47 लाख की देयता का सृजन हुआ। विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जनवरी 2021) कि शुद्ध कमाई का हिस्सा यथाशीघ्र सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

2.1.4.5 ₹ 47 लाख की अवसूलित क्षति प्रतिपूर्ति

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर्स को जेटीडीसी द्वारा पी.आई.पी. के अनुमोदन की तिथि से छः महीने के भीतर परियोजना सुविधाओं को उन्नत और नवीनीकृत करना आवश्यक था। आगे, उन्नयन का काम पूरा होने में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति देय होगा।

सितंबर 2014 में जेटीडीसी ने टी.आई.सी हजारीबाग के पी.आई.पी. को मंजूरी दी तथा डेवलपर को मार्च 2015 तक परिसंपत्ति को उन्नत करना था। जेटीडीसी द्वारा इकरारनामा को समाप्त (अक्टूबर 2018) कर दिया गया क्योंकि डेवलपर द्वारा उन्नयन कार्य पूरा नहीं किया गया था। हालाँकि, जेटीडीसी ने समय पर काम को पूरा करवाने के लिए कार्रवाई नहीं की और न ही इकरारनामा को पहले समाप्त किया। आगे, वह डेवलपर से ₹ 47 लाख की क्षतिपूर्ति की वसूली करने में विफल रहा।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि 2018 में इकरारनामा समाप्त हो जाने के कारण, वह डेवलपर से क्षतिपूर्ति के रूप में किसी भी राशि की वसूली करने में असमर्थ था।

2.1.4.6 ₹ पाँच लाख के अनकदीकृत पी.बी.जी के कारण हानि

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर द्वारा चूक की स्थिति में, देय लाइसेंस शुल्क आदि की राशि, निष्पादन प्रतिभूति से वसूल की जानी थी।

मार्गीय सुविधा, बगोदर के डेवलपर से, इकरारनामा समाप्त (दिसंबर 2017) होने के बाद लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जा सका, क्योंकि जेटीडीसी के पास केवल ₹ पाँच लाख की पी.बी.जी. की छायाप्रति उपलब्ध थी, जिसे नकदीकृत नहीं किया जा सका। इस प्रकार, डेवलपर से मूल पी.बी.जी. प्राप्त करने में जेटीडीसी की विफलता के कारण ₹ पाँच लाख का नुकसान हुआ।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान और पी.बी.जी का नवीनीकरण न करने के कारण इकरारनामा रद्द कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेटीडीसी के पास मूल पी.बी.जी उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ पाँच लाख के पी.बी.जी. का नकदीकरण नहीं किया जा सका।

2.1.4.7 प्रोत्साहन निधि का अनुपयोग

झापनी 2015 के अनुसार, पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास और संवर्धन हेतु सक्रिय निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा शुरू की जानी थी। आगे, नए होटल की स्थापना, परिवहन सुविधा, स्वास्थ्य रिसॉर्ट की स्थापना आदि के लिए सब्सिडी एवं कर संरचना के समानीकरण के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना था।

हालाँकि, झारखण्ड सरकार ने जेटीडीसी को प्रोत्साहन मद में ₹ एक करोड़ (जनवरी 2019) जारी किया, यह राशि जेटीडीसी के पर्सनल लेजर खाते में डाल दी गई और जनवरी 2021 तक बिना उपयोग के पड़ी रही। विभाग/ जेटीडीसी ने कहा कि किसी भी प्रस्ताव के प्राप्त नहीं होने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। हालाँकि, यह देखा गया कि जेटीडीसी ने प्रोत्साहन योजना के प्रचार के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

2.1.4.8 होल्टिंग कर की वसूली न होना

इकरारनामा के अनुसार, पट्टेदार को ससमय सभी नगरपालिका शुल्क, जिसमें होल्टिंग कर⁷⁶, जल उपकर आदि शामिल हैं, जैसा कि नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवंटित दुकानों की लीज अवधि के लिए लगाया गया हो, जिसमें सामान्य सेवाओं/ क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा भी शामिल है, का भुगतान करना होगा।

⁷⁶ होल्टिंग कर, नगर निगम द्वारा संपत्ति के वार्षिक किराये मूल्य के आधार पर लगाया गया कर है। वार्षिक किराये के मूल्य का निर्धारण कारपेट क्षेत्रफल और सरकार द्वारा समय-समय पर तय किराये मूल्य के गुणज के रूप में होता है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जेटीडीसी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देवघर का 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए होल्डिंग कर के रूप में ₹ 1.20 लाख का भुगतान किया, लेकिन पट्टेदारों से इसकी वसूली करने में विफल रहने के फलस्वरूप कंपनी को ₹ 1.20 लाख का नुकसान हुआ। सरकार/ जेटीडीसी द्वारा कोई विशेष जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.4.9 विज्ञापन निधि का अनुचित और अकुशल प्रबंधन

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) के नियम 174 के अनुसार, मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से कोई भी राशि की निकासी नहीं की जाएगी। यदि राशि अग्रिम में निकाला जाता है, तो अव्ययित राशि को जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषागार में वापस कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, झा.को.सं. के नियम 334 के अनुसार, लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद अव्ययित राशि को आगे खर्च नहीं किया जाना चाहिए और शेष को संबंधित सेवा शीर्ष में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जहाँ से राशि की निकासी किया गया था।

पर्यटन निदेशालय की माँग पर, विभाग ने झारखण्ड पर्यटन के विज्ञापन के लिए 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 48.40 करोड़ की राशि आवंटित किया। आवंटन आदेशों में वित्तीय वर्ष के अंत में अनुपयोग निधि का समर्पण और उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) प्रस्तुत करना निर्देशित था।

पर्यटन निदेशालय ने केवल ₹17.80 करोड़ (36.78 प्रतिशत) खर्च किए और ₹ 30.60 करोड़ (63.22 प्रतिशत) की अव्ययित राशि, जो प्रत्यर्पित की जानी थी, को निधि के व्यपगत होने से बचाने के लिए जेटीडीसी के पर्सनल लेजर (पी.एल) खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि ₹ 30.60 करोड़ में से केवल ₹ 16.92 करोड़ अगले वित्त वर्ष में जेटीडीसी के माध्यम से खर्च किए गए और मार्च 2020 तक जेटीडीसी के पी.एल खाते में ₹ 10.49 करोड़ की राशि अव्ययित रही। इसके अलावा, ₹ 3.19 करोड़ रुपये की राशि दो से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रखने के बाद प्रत्यर्पित (मई 2019) किया गया। न तो पर्यटन निदेशक और न ही एम.डी., जेटीडीसी द्वारा अब तक विभाग को कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.5 आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

(i) अविकसित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र

झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी), 2015 अनुश्रवण और मूल्यांकन तंत्र के संस्थागतीकरण पर जोर देती है। हालाँकि, मार्च 2020 तक न तो विभाग और न ही कंपनी ने कोई अनुश्रवण और मूल्यांकन तंत्र विकसित किया।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि यद्यपि निगम में अनुश्रवण की व्यवस्था अस्तित्व में है, इसे मजबूत बनाने और स्वचालित करने की आवश्यकता है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अपनी संपत्ति पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी के उदाहरण कंडिका 2.1.3.1 में चर्चित थी। अवसूलित/ अनकदीकृत बकाया किराया, क्षतिपूर्ति शुल्क एवं पी.बी.जी. भी अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

(ii) प्रतिवेदन और बुनियादी दस्तावेज की अनुपस्थिति

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर परियोजना सुविधाओं के नवीकरण की प्रगति पर मासिक नवीकरण/विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। आगे, डेवलपर एक वार्षिक संचालन एवं प्रबंधन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। यह देखा गया कि नमूना-जाँचित किसी भी संपत्ति में डेवलपरों ने इन प्रतिवेदन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया। आगे, इकरारनामा में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए दंडात्मक धारा की अनुपस्थिति के कारण, जेटीडीसी डेवलपरों द्वारा इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को लागू कराने में विफल रहा। इसके अलावा, डेवलपरों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण जेटीडीसी अपनी संपत्ति के अधिभोग से अनभिज्ञ था। विभाग/ जेटीडीसी ने (जनवरी 2021) आश्वासन दिया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6 निष्कर्ष

पर्यटन के एकीकृत विकास और विपणन के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया। पर्यटन की क्षमता का जिलावार विस्तृत सर्वेक्षण ऐसी क्षमता का उपयोग करने के लिए नहीं किया गया और पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम मानकों की स्थापना, जैसा कि झारखण्ड पर्यटन नीति, 2015, में परिकल्पित था, इसके चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं की गई।

₹ 39.62 करोड़ की लागत से निर्मित 39 परिसंपत्तियाँ असंचालित या आंशिक रूप से संचालित रही। इनमें से कई संपत्तियाँ रख-रखाव में अभाव के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं जो समय के साथ और खराब हो जाएगी। दूरवर्ती स्थान, अकुशल प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अधिभोग कम रहा। जेटीडीसी नियमों और

शर्तों को लागू कराने में विफल रहा, जिसके कारण डेवलपर्स को अनुचित लाभ हुआ। संपत्ति का अनियमित व्यावसायीकरण, परिसंपत्तियों का बीमा कराने में विफलता, स्थानीय लोगों द्वारा संपत्ति का अवैध संचालन, अतिक्रमण आदि अनुश्रवण की कमी के कारण हुआ।

अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जेटीडीसी न तो विज्ञापनों /प्रोत्साहनों के लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए निधि का उपयोग किया और न ही बकाया किराया/ लाइसेंस शुल्क/ क्षति शुल्क की वसूली कर सका।

2.2 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

2.2.1 श्रमिक कल्याण उपकर की कम कटौती

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन करने में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड विफल रहा जिसके कारण ₹ 17.89 करोड़ के श्रमिक कल्याण उपकर की कम कटौती हुई।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 3 (1) के अनुसार एक उपकर होगा जिसका उदग्रहण एवं संग्रहण, किसी नियोक्ता के द्वारा वहन किये गए निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी परन्तु एक प्रतिशत से कम भी नहीं होगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिकारिक गजट अधिसूचना के माध्यम से निश्चित करेगी। अधिनियम पुनः निर्धारित करती है कि सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन एवं अन्य निर्माण के संबंध में उपकर की कटौती स्रोत पर ही कर ली जाएगी और अधिनियम के अंतर्गत गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को प्रेषित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 8 यह निश्चित करती है कि यदि कोई नियोक्ता उपकर निर्धारण आदेश में वर्णित समय के अन्दर देय उपकर की किसी राशि के भुगतान में विफल रहता है तो, वह नियोक्ता देय राशि पर उस राशि की देय तिथि से राशि के वास्तविक भुगतान तक की तिथि की अवधि के लिए प्रति माह या माह के अंश के लिए दो प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान का भागी होगा। अधिनियम की धारा 9 निर्धारित करती है कि उपकर की कोई देय राशि का भुगतान उपकर निर्धारण आदेश में वर्णित तिथि के अन्दर नहीं की जाती, तो उसे बकाया माना जाएगा और अधिनियम में इस संबंध में निर्देशित अधिकारी जैसा उसे उचित लगे वैसे जाँचोपरांत एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद, वैसे नियोक्ता पर अर्थदंड अधिरोपित कर सकता है जो उपकर राशि से अधिक नहीं होगा।

आगे, झारखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं अन्य सेवा शर्तों का विनियमन), नियमावली, 2006 के नियम 7 के अनुसार राज्य अथवा बोर्ड में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार के द्वारा राज्य के सम्बंधित संस्थानों/ नियोक्ताओं/ संवेदकों से अधिनियम के

अंतर्गत भारत सरकार अधिसूचनाओं के अनुसार, एक प्रतिशत श्रमिक उपकर की वसूली का एक आदेश जारी (अक्टूबर 2007) किया गया।

अभिजीत हज़ारीबाग टोल रोड लिमिटेड बनाम भारत का संघ एवं अन्य (2012 की डब्ल्यू.पी (सी) संख्या 4202) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, राँची ने भी यह निर्णय दिया है कि निर्माण श्रमिकों एवं कर्मकारों से कार्य लेना निर्माण गतिविधियों का आंतरिक अंश है और चूँकि कार्य एवं श्रम, निर्माण गतिविधि के अभिन्न अंग हैं, उपकर मात्र श्रम-अवयवों के बजाय निर्माण की लागत पर उदग्रहित की जाएगी।

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल)⁷⁷ के 2013-14 से 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जाँच (फ़रवरी 2019) से पता चला कि संचरण लाइनों, ग्रिड उप-केन्द्रों, ट्रांसफार्मर-बे इत्यादि हेतु परामर्शों, आपूर्ति अथवा डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, अधिष्ठापन, उत्थापन, परीक्षण एवं प्रवर्तन हेतु कुल ₹ 3,732.75 करोड़ मूल्य के 122 अनुबंध (फ़रवरी 2009 एवं मार्च 2019 के बीच) किये गए। इनमें से ₹ 3,644.12 करोड़ मूल्य के 100 अनुबंध टर्नकी अनुबंध थे। इन टर्नकी अनुबंधों के विरुद्ध जेयूएसएनएल ने मई 2020 तक आपूर्ति के ₹ 1,772.79 करोड़ एवं उत्थापन के ₹ 528.88 करोड़ सहित ₹ 2,301.67 करोड़ का भुगतान किया। आपूर्ति मूल्य में ट्रांसफार्मर, तार, टावर, इंसुलेटर, इस्पात, पाइप, सीमेंट, फेब्रिकेशन इत्यादि जैसे सामग्रियों एवं उपकरणों की लागत निहित होते हैं, जबकि उत्थापन मूल्य में सर्वे एवं खुदाई के साथ ही उपकरणों के अधिष्ठापन, फाउंडेशन एवं कंक्रीटिंग जैसे सिविल निर्माण कार्यों की लागत सन्निहित होती है। क्योंकि, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम 3 के अंतर्गत केवल भूमि की लागत तथा क्षतिपूर्ति की राशि को निर्माण लागत में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए आपूर्ति तथा उत्थापन मूल्य दोनों ही को निर्माण लागत माना जाएगा।

हालाँकि, जेयूएसएनएल ने संवेदकों के विपत्र से केवल उत्थापन मूल्य से ₹ 5.13 करोड़ के श्रमिक उपकर की कटौती की, परन्तु ₹ 17.73 करोड़ (आपूर्ति मूल्य का एक प्रतिशत) के श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की थी। पुनः, उत्थापन मूल्य से ₹ 16 लाख की कम कटौती की गई क्योंकि ₹ 5.29 करोड़ के प्रयोज्य उपकर के विरुद्ध ₹ 5.13 करोड़ के श्रमिक उपकर की कटौती की गई। अतः 1998 की नियमावली का उल्लंघन करते हुए संवेदकों के विपत्रों से श्रमिक उपकर की कटौती करने में जेयूएसएनएल विफल रहा जिससे ₹ 17.89 करोड़ के श्रमिक उपकर की कम कटौती हुई और जेयूएसएनएल

⁷⁷ पूर्व में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी) दिसंबर 2013 तक विद्युत् उत्पादन, संचरण एवं वितरण करता था। जेयूएसएनएल संचरण गतिविधियों की शुरुआत जे.एस.ई.बी के विभक्तिकरण (जनवरी 2014) के उपरांत कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सम्मिलित होने के बाद से कर रहा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा देय श्रमिक उपकर के अंतिम मूल्यांकन के समय ब्याज एवं अर्थदंड का भागी होगा।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए जेयूसएनएल ने यह सूचित किया (जनवरी 2021) कि उल्लेखित कम कटौती के विरुद्ध अब तक संवेदकों के विपत्रों से ₹ 13.63 करोड़ की वसूली कर ली गई है। हालाँकि, 6 जनवरी 2014 के पूर्व के श्रमिक उपकर के साथ ही निर्धारण अधिकारी के द्वारा अंतिम मूल्यांकन के दौरान अधिरोपित होने वाले अर्थदंड एवं ब्याज, यदि कोई हो, की वसूली के संबंध में जेयूसएनएल मौन है।

विषय सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2020) है; उनके उत्तर की प्रतीक्षा (जनवरी 2021) है।

2.2.2 एसएलडीसी के परिचालन शुल्क एवं प्रभार की हानि

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा उपयोगकर्ताओं से राज्य भार प्रेषण केंद्र के संचालन के लिए शुल्क एवं प्रभार वसूलने में विफलता के कारण ₹ 12.18 करोड़ की हानि हुई।

राज्य भार प्रेषण केंद्र, विद्युत् व्यवस्था के परिचालन, नियोजन, निगरानी एवं नियंत्रण का तंत्रिका केंद्र होता है। विद्युत् का भंडारण नहीं किया जा सकता है और जरूरत के समय ही इसका उत्पादन किया जाना होता है। राज्य भार प्रेषण केंद्र का उद्देश्य अधिकतम सुरक्षा एवं दक्षता प्राप्त करने हेतु विद्युत् के उत्पादन, संचरण एवं वितरण में पल-पल समन्वय स्थापित करना है।

विद्युत् अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 31(1) एवं 31(2) यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार एक राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) स्थापित करेगी जो किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित एक सरकारी कंपनी या प्राधिकरण या निगम द्वारा संचालित होगा।

अधिनियम की धारा 32(3), एसएलडीसी को विद्युत् के अन्तर्राज्यीय संचरण में लगी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारकों पर शुल्क एवं प्रभार, जैसा कि राज्य विद्युत् नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा विनिर्दिष्ट हो, धारित तथा संग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है।

झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग (एसएलडीसी द्वारा शुल्क एवं प्रभार निर्धारित और संग्रहण) विनियम, 2010 (जेएसईआरसी विनियम, 2010) एसएलडीसी को एसएलडीसी परिचालन की लागत को शुल्क एवं प्रभार के रूप में टैरिफ के माध्यम से अनुमत/ वसूलने का अधिकार प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि अधिनियम की धारा 31(1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊर्जा विभाग के सचिव, पूर्व के झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड (जेएसईबी) के भार प्रेषण केंद्र को एसएलडीसी के रूप में नामित किया (सितंबर 2005)। जेएसईबी के विघटन के पश्चात, जनवरी 2014 से झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) का भार प्रेषण केंद्र एसएलडीसी का परिचालन करना जारी रखा।

जेयूएसएनएल के अभिलेखों के आगे जाँच (जनवरी 2019 एवं जनवरी 2020) से पता चला कि जेयूएसएनएल, अधिनियम की धारा 32(3) एवं जेएसईआरसी विनियम, 2010

का उल्लंघन करते हुए, जनवरी 2017 से मार्च 2019⁷⁸ के अवधि के ₹ 12.18 करोड़⁷⁹ का शुल्क एवं प्रभार भारित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, जेयूएसएनएल को ₹ 12.18 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि नीचे लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया है:

जेएसईआरसी विनियम, 2010 के तहत, एसएलडीसी लागत को टैरिफ द्वारा अनुमत/वसूली करने के लिए जेयूएसएनएल को अपने एसएलडीसी क्रियाकलाप एवं संचरण व्यवसाय को पृथक करना था। जबतक लेखाओं का पूर्णरूपेण पृथक्करण नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यवसाय का सकल वार्षिक राजस्व आवश्यकता⁸⁰ (एआरआर), (i) एसएलडीसी क्रियाकलाप, संचरण व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय के बीच सभी लागतों, राजस्वों, परिसंपत्तियों, दायित्वों, संचयों एवं प्रावधानों का एक विनियोजन विवरणी तथा (ii) अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर विगत वर्ष, वर्तमान वर्ष एवं आगामी वर्ष की अवधि का एआरआर को दर्शाती एक विवरणी के साथ टैरिफ आवेदन से समर्थित होना था। हालाँकि, जेयूएसएनएल (पूर्व के जेएसईबी सहित) द्वारा इनमें से किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गयी जिसका कारण न तो अभिलेखों में था न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, यद्यपि माँगे गए थे। परिणामस्वरूप, 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए, जेयूएसएनएल ने एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार वसूली हेतु अपने एसएलडीसी क्रियाकलाप को अन्य व्यवसाय से पृथक करके जेएसईआरसी के अनुमोदन हेतु कोई टैरिफ आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका।

उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना, जेयूएसएनएल ने उपभोक्ताओं से एसएलडीसी प्रभार वसूलने हेतु 2016-17 से 2020-21 अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) याचिका तथा 2016-17 के लिए एसएलडीसी के साथ-साथ संचरण व्यवसाय का टैरिफ भी दायर (मार्च 2017) की। हालाँकि, जेएसईआरसी ने अपने एमवाईटी आदेश में एसएलडीसी व्यय को नामंजूर कर दिया (फरवरी 2018) क्योंकि एसएलडीसी क्रियाकलाप एवं संचरण व्यवसाय के पृथक्करण एवं एसएलडीसी व्यवसाय के अंकेक्षित लेखाओं के आभाव में जेयूएसएनएल, एआरआर को पेश करने का आधार बताने में विफल रहा।

⁷⁸ जेएसईआरसी अधिनियम 2010, दिसंबर 2010 में अस्तित्व में आया जिसमें 1 अप्रैल 2011 से वार्षिक आधार पर टैरिफ के लिए अवधि निर्धारण किया गया था। परंतु जेएसईबी/जेयूएसएनएल के लेखाओं में एसएलडीसी खर्च को पृथक न दर्शाए जाने से कारण अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2016 तक के अनुग्रहीत शुल्क एवं प्रभार पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

⁷⁹ जैसा कि जनवरी 2017 से मार्च 2019 के एसएलडीसी तलपट के जाँच में पाया गया।

⁸⁰ एग्रीगेट रेविन्यू रिक्वाइरमेंट का अर्थ एसएलडीसी/ पावर सिस्टम ऑपरेशन कंपनी के खर्च से है जिसे जेएसईआरसी विनियम के तहत शुल्क एवं प्रभार के रूप में वसूली के लिए आयोग अनुमान्य करे।

लेखापरीक्षा परिणाम को स्वीकारते हुए प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि जेएसईआरसी ने जेयूएसएनएल को अपने संचरण व्यवसाय से एसएलडीसी क्रियाकलाप को सख्ती से पृथक करने तथा पृथक्कीकृत लेखा संधारित करने का निर्देश दिया था (फरवरी 2018)। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा को यह भी सूचित किया कि जेएसईआरसी के निर्देश का अनुपालन किया गया है एवं जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक के एसएलडीसी व्यवसाय का तलपट शेष जेएसईआरसी को प्रस्तुत (अक्टूबर 2018) किया गया था।

जेएसईआरसी के निर्देश के अनुपालन से संबंधित जवाब अस्वीकार्य है क्योंकि जेएसईआरसी अधिनियम, 2010 में निहित आवश्यकताओं के अनुपालन में जेयूएसएनएल की विफलता के कारण जेएसईआरसी ने, अपने 24 फरवरी 2018 के आदेश में, एसएलडीसी प्रभार वसूली के जेयूएसएनएल के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया था। आगे, एसएलडीसी व्यवसाय का लेखा प्रस्तुत करने के जेएसईआरसी के निर्देश (फरवरी 2018) के विरुद्ध जेयूएसएनएल ने केवल जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि का तलपट शेष प्रस्तुत (अक्टूबर 2018) किया। पृथक्कीकृत लेखाओं के अभाव में जेयूएसएनएल ने एसईआरसी अधिनियम, 2010 के अनुरूप आवश्यक विनिधान विवरणी भी प्रस्तुत नहीं किया। जेएसईआरसी ने, अंकेक्षित लेखाओं के अभाव में एसएलडीसी के एआरआर को अस्वीकृत किए जाने की पुष्टि भी की (मई 2020)। हालाँकि, कंपनी द्वारा शुल्क एवं प्रभार धारित एवं वसूल करने में विफलता से हुई हानि के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गयी थी।

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2020) कि कोई पृथक लेखा इकाई का संधारण नहीं किया जा रहा है, जैसा कि जेएसईआरसी अधिनियम के तहत आवश्यक था तथा दोहराया कि जेयूएसएनएल ने पहले ही, टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क एवं प्रभार वसूल करने हेतु मार्च 2017 में जेएसईआरसी के पास दावा कर दिया है। तथ्य यह है कि जेयूएसएनएल ने फरवरी 2018 के जेएसईआरसी की टिप्पणियों पर कोई अनुक्रिया नहीं की। इसने सितम्बर 2020 तक, बाद के वर्षों में भी एसएलडीसी व्यवसाय के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया था।

राँची

दिनांक: 16 जुलाई 2021

इ-3 2021-22

(इंदु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 22 जुलाई 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

